धींधवाल पब्लिकेशन

DHP-19

Dhindhwal Publication

Lead, Read and Achieve

राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

द्वितीय संस्करण

होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राज. पुलिस

- 16वीं विधानसभा व 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सहित
- प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन+विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों सहित

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफ़लता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

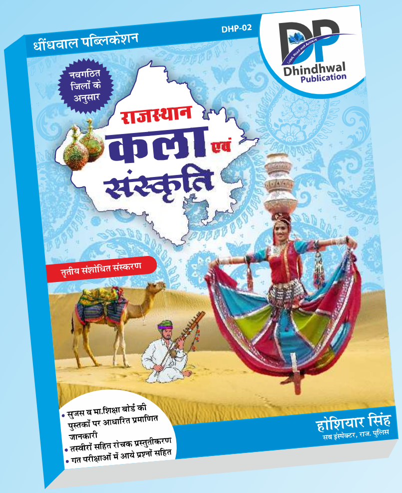

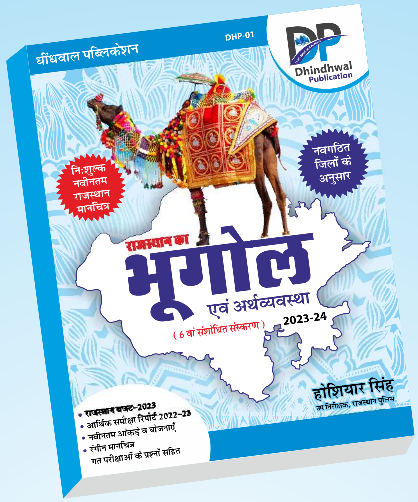

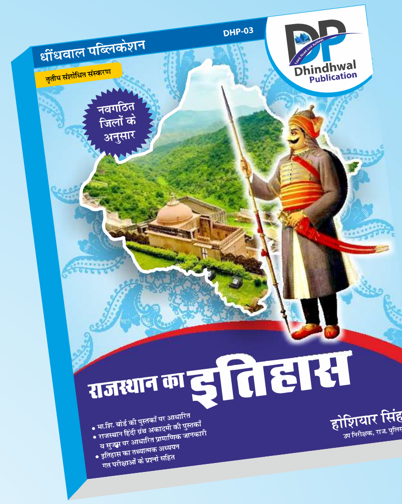

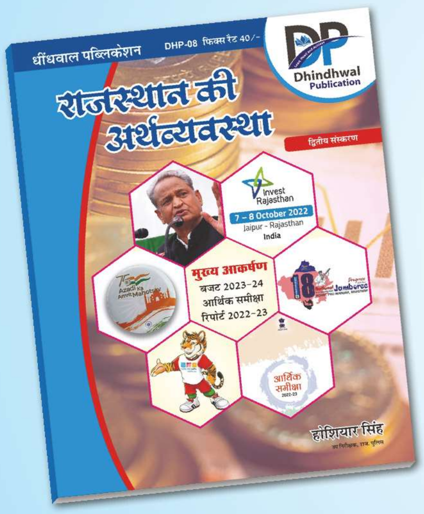

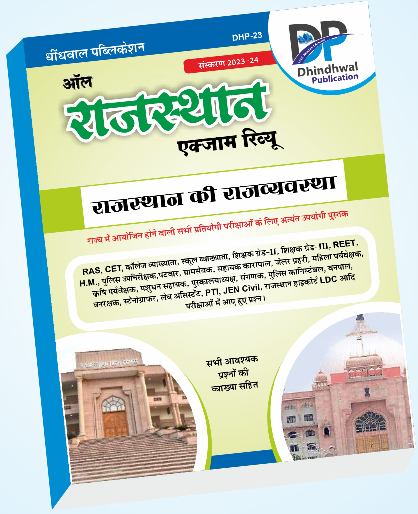

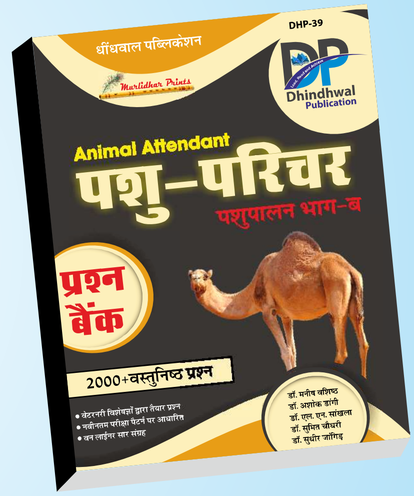

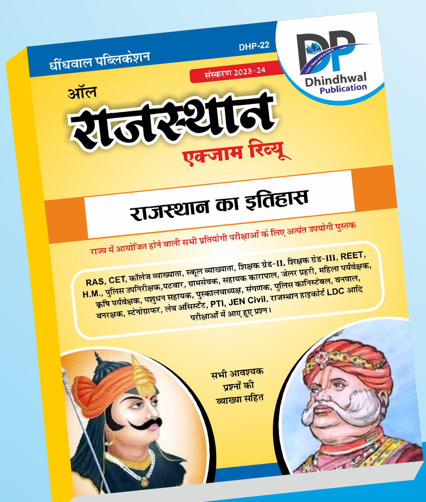

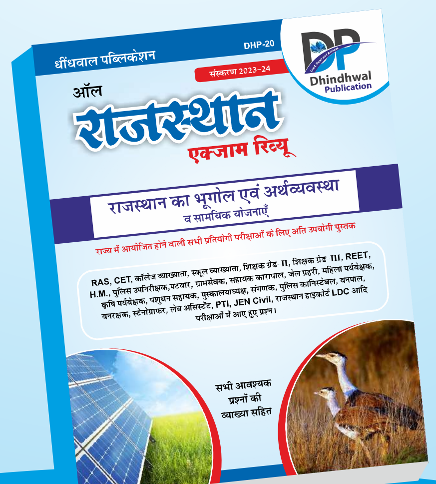

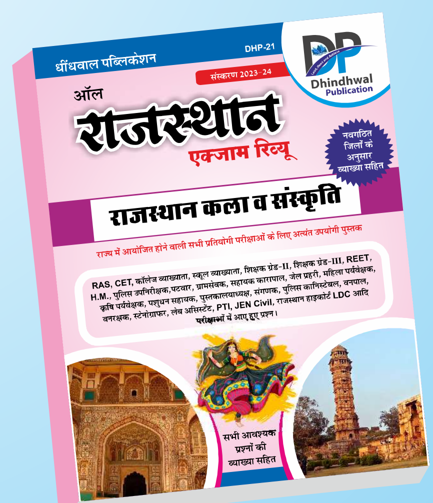

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफ़लता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

Dhindhwal Publication
Lead, Read and Achieve

होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राज. पुलिस

: लेखक परिचय :

होशियार सिंह का जन्म ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही वर्ष 2003 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरम्भ की, राजस्थान पुलिस (जिला बीकानेर वर्ष 2008) में कानिस्टेबल के पद पर चयन के साथ ही 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। आपने 5 वर्ष तक जिला राजसमंद में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् द्वितीय श्रेणी शिक्षक (हिन्दी) 2013 में चयन होने पर आपने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कतरियासर (बीकानेर) में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक 2014 में चयन हुआ, वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक हैं, आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

लेखक की अन्य पुस्तकें

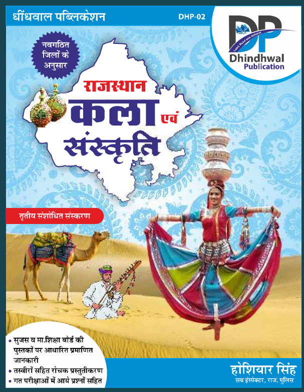

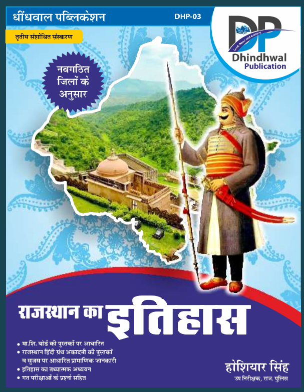

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं-

Dhindhwal Publication

राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक

- प्रामाणिक विषय वस्तु का क्रमबद्ध ढंग से संकलन।
- परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन व व्यापक पाठ्यसामग्री का संकलन।
- 16वीं विधानसभा व 18वीं लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित समस्त विषयवस्तु का समावेश।
- वर्ष 2022 से 2024 तक की परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों का संकलन।

RAS, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक II_{nd} ग्रेड, शिक्षक III_{rd} ग्रेड, REET, CET, H.M., पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्रामसेवक, राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल, राजस्थान हाइकोर्ट, वनरक्षक, वनपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष व राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक।

धींधवाल पब्लिकेशन
B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर
मो.- 8306733800

लेखक :- होशियार सिंह
(उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस)

प्रकाशकः-

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.- 8306733800

- Dhindhwal Publication

- धींधवाल पब्लिकेशन

- Dhindhwal Classes

- @Publication-DP

- Dhindhwal Publication

बुक कोड- DHP-19

© सर्वाधिकार- लेखक

फिक्स रैट- 180.00

द्वितीय संशोधित संस्करण

मुद्रक-

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इसके किसी भाग की फोटोकॉपी, स्केनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुनः उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णतः वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अतः ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अतः दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	1–22
2.	मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्	23–35
3.	राज्य विधानमण्डल	36–58
4.	राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम	59–72
5.	संसद में राजस्थान	73–75
6.	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	76–89
7.	राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव	90–96
8.	संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था	97–102
9.	पंचायती राज	103–120
10.	नगरीय स्वशासन	121–130
11.	प्रमुख आयोग	131–162
	राजस्थान लोक सेवा आयोग	131–138
	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	139–144
	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	145–147
	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	148–149
	राजस्थान राज्य महिला आयोग	150–151
	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	152–155
	लोकायुक्त	156–159
	राज्य का महाधिवक्ता	160–161
	महालेखाकार	162
12.	प्रमुख अधिनियम	163–168
	नागरिक अधिकार पत्र	163
	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005	164–165
	राजस्थान लोक सेवा गारन्टीअधिनियम–2011	166–167
	राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012	168

लेखक का संदेश

प्रिय परीक्षार्थियो,

'राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था' के प्रथम संस्करण की शानदार सफलता के बाद इस पुस्तक का **'द्वितीय संशोधित संस्करण'** आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को आधार बना कर अद्यतन की गई है।

☞ **पुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ–**

- पुस्तक की भाषा शैली सरल, सहज और ग्राह्य बनायी गई है।
- हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों व विभिन्न मूल अधिनियमों से प्रामाणिक सामग्री का संकलन।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न के अनुरूप गहन व व्यापक पाठ्य सामग्री का संकलन।
- वर्ष 2022 से 2024 तक हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समावेश किया गया है।
- **16वीं विधानसभा** व **18वीं लोकसभा** चुनाव से सम्बन्धित समस्त विषयवस्तु का समावेश।
- प्रत्येक अध्याय के बाद सारगर्भित विवरण व सारणियों का संकलन।

मैं ईश्वर और अपने माता–पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सहयोगियों मुकेश कुमावत, लालचन्द जाट, विक्रम सिंह, धर्मेन्द्र बिशु, महेश भादू, विष्णु पुरी (टाईपिस्ट), असलम अली (टाईपिस्ट), मोहम्मद रफीक (टाईपिस्ट), यशवंत (टाईपिस्ट) का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से पुस्तक को अद्यतन करना संभव हो पाया।

पुस्तक के आगामी संस्करणों में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

''हमेशा खुद पर विश्वास रखना क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी
कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है,
क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है.... ।।''

1 राज्यपाल

- भारतीय संविधान में राज्यों में भी **केन्द्र की तरह संसदीय व्यवस्था** को अपनाया गया है। राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, लेकिन **वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् करती** है।
- राज्यपाल अपनी **शक्ति व कार्य** को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कर सकता है। सिर्फ उन विषयों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है।
- **1 नवम्बर, 1956** तक राजस्थान 'बी श्रेणी' का राज्य था। बी श्रेणी के राज्यपाल को 'राज प्रमुख' कहा जाता था। 1 नवम्बर, 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर 'राज्यपाल' पद सृजित किया गया।

☞ **नोट– राज्य पुनर्गठन आयोग** की सिफारिश पर **7वें संविधान संशोधन 1956** द्वारा राज्यों की श्रेणियाँ (A, B, C, D) समाप्त कर दी गई और राजप्रमुखों के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया।

- राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद **'राज्यपाल'** (गवर्नर) का होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान (संवैधानिक मुखिया) होता है। तथा वह केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।
- राज्यपाल **राज्य विधानमण्डल का अभिन्न अंग** है।

✦ राज्यपाल के बारे में कथन–

1. सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान– सरोजिनी नायडु
2. वेतन का आकर्षण– **विजयलक्ष्मी पंडित**
3. राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए **Headache** है तथा दूसरी ओर केन्द्र सरकार भी इन्हें महत्त्व नहीं देती– मार्ग्रेट आल्वा
4. संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी जो केन्द्र व राज्य सम्बन्धों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है– के.एम.मुंशी
5. 'राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं'– सीतारमैया

(स्रोत– कक्षा 12 राजनीति विज्ञान)

राज्य सरकार
(भाग–6 अनुच्छेद–152 से 237)

- कार्यपालिका (अनुच्छेद–153 से 167)
- व्यवस्थापिका (अनुच्छेद–168 से 213)
- न्यायपालिका (अनुच्छेद–214 से 237)

राज्यपाल से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 153	राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ
अनुच्छेद 158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161	सभा आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद 162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार
अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे–नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।
अनुच्छेद 165	राज्य महाधिवक्ता
अनुच्छेद 166	राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही
अनुच्छेद 167	राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य
अनुच्छेद 174	राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।
अनुच्छेद 175	राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार
अनुच्छेद 176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
अनुच्छेद 200	विधेयक पर सहमति (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना)
अनुच्छेद 201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय
अनुच्छेद 213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनुच्छेद 217	राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना।
अनुच्छेद 233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा)

❖ अनुच्छेद–153– प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

☞ ध्यान रहे– 7वाँ संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को **दो या दो** से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

☞ नोट– मूल संविधान में अनुच्छेद–153 के तहत् प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी।

ली जाती है) संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक प्रवृत में नहीं रहेगी।

☞ **स्मरणीय तथ्य**– एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि, 'पंथ निरपेक्षता' भारतीय संविधान का आधारभूत ढाँचा है। अगर किसी राज्य सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद–356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है।

✦ अनुच्छेद 357(1)– जहाँ अनुच्छेद 356(1) द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ **संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त** होंगी वहाँ–

✦ (क)– राज्य के विधानमण्डल की कानून बनाने की शक्ति **राष्ट्रपति को प्रदान** करने की या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की क्षमता संसद को होगी।

✦ (ग)– जब **लोकसभा सत्र में नहीं** हो तो **राज्य की संचित निधि में से व्यय निकालने** के लिए, संसद की मंजूरी लम्बित रहने तक ऐसे व्यय को **प्राधिकृत करने की शक्ति** राष्ट्रपति को होगी।

☞ **नोट**– राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के संवैधानिक उपबंधों के निष्क्रिय होने की रिपोर्ट पर ही वह राष्ट्रपति शासन/आपात की उद्घोषणा करें।

☞ राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की शक्तियाँ **राष्ट्रपति स्वयं** ले लेता है अथवा राज्यपाल को दे देता है।

☞ राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर विधानसभा भंग हो जाती है, तथा इसकी घोषणा पर विधानसभा केवल निलम्बित होती है।

● न्यायपालिका राष्ट्रपति शासन की समीक्षा कर सकती है।

❖ न्यायिक शक्तियाँ

✦ अनुच्छेद–161 क्षमादान– कुछ दण्डों तथा दण्डादेशों को क्षमा, निलम्बित या परिवर्तित करने की शक्ति **राज्यपाल** को दी गई है। (मृत्युदण्ड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर)

राज्यपाल	राष्ट्रपति
अनुच्छेद 161:– क्षमा करने की शक्ति	**अनुच्छेद 72 :–** क्षमा करने की शक्ति
मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा को क्षमा नहीं कर सकता, केवल स्थगित (प्रविलम्बित/लघुकृत) कर सकता है।	मृत्युदण्ड को **क्षमा** कर सकता है। सजा स्थगित या कम कर सकता है।
केवल समवर्ती सूची व राज्य सूची के विषयों को क्षमा (Pardon)/ प्रविलम्ब(Reprive)/विराम(Respite) /परिहार (Remission) लघुकरण (Commute) कर सकता है।	संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर किए गए अपराधों को **क्षमा/निलंबन/लघुकरण** /परिहार/विराम कर सकता है।
सैन्य कोर्ट के मामले संघ सूची के विषय होने के कारण अधिकार क्षेत्र में नहीं आते	सैन्य कोर्ट (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए **दण्ड को कम** या क्षमा कर सकता है।
शक्ति– **राष्ट्रपति से कम**	शक्ति– **राज्यपाल से अधिक**

❖ विवेकीय शक्तियाँ (Discretionary Powers)

✦ अनुच्छेद–163 (1)– राज्यपाल से यह अपेक्षित किया गया है कि वह अपने कर्त्तव्यों को अपने विवेकानुसार करें उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सलाह और सहायता देने के लिए एक **मंत्रिपरिषद्** होगी। जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।

✦ अनुच्छेद–163 (2)– राज्यपाल अपने विवेकानुसार कुछ निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है–

1. **संविधान प्रदत्त** स्वविवेकीय शक्तियाँ
2. **परिस्थितिजन्य** स्वविवेकीय शक्तियाँ

1. संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियाँ

● राज्यपाल **मुख्यमंत्री से सूचना** मांग सकता है तथा सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है। (अनुच्छेद–167)

● राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को **राष्ट्रपति हेतु** आरक्षित रखना। (अनुच्छेद–200)

● राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को **पुनर्विचार हेतु** विधानमण्डल में लौटाना। (अनुच्छेद–200)

● राज्यपाल द्वारा **राष्ट्रपति शासन** की सिफारिश (अनुच्छेद–356)

● यदि किसी दल या गठबन्धन द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में न होने पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है।

2. परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ

● कार्यकाल के दौरान **मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु** हो जाने पर अगर उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है। तो राज्यपाल स्वविवेक से **मुख्यमंत्री नियुक्त** कर सकता है।

● किसी दल या चुनावपूर्व गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल स्वविवेक से **मुख्यमंत्री पद के लिए** किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है।

● मंत्री परिषद् को भंग करने के मामले में राज्यपाल को निम्न स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है–

● मंत्री परिषद् के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

● यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि **मंत्रिपरिषद् का विधानसभा में बहुमत नहीं** है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा न किए जाने पर **राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है।**

● यदि मंत्रिपरिषद् संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही हो तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाए

राजस्थान के राज्यपाल तथा उनका कार्यकाल				
क्र.सं.	राज्यपाल	कार्यकाल	मुख्यमंत्री	विशेषताएँ
42.	श्री राम नाईक (अतिरिक्त प्रभार)	08.08.2014 से 03.09.2014	वसुन्धरा राजे	ये **लोकसभा सांसद** व **महाराष्ट्र** से **विधानसभा सदस्य** रहे। **जनता पार्टी महाराष्ट्र** व **लोक लेखा समिति** के **अध्यक्ष** रहे। **उत्तर प्रदेश** के राज्यपाल श्री राम नाईक को **उत्तरप्रदेश के साथ** राजस्थान के **राज्यपाल पद** का **कार्यभार** सौंपा गया।
43.	श्री कल्याण सिंह	04.09.2014 से 09.09.2019	वसुन्धरा राजे, अशोक गहलोत	ये उत्तर प्रदेश के **2 बार मुख्यमंत्री** व **लोकसभा सदस्य** भी रहे। ये **उत्तरप्रदेश विधासभा** के **विपक्ष के नेता** तथा उत्तरप्रदेश के **भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष** भी बने। इनको **राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश** के **राज्यपाल पद** का **अतिरिक्त प्रभार** सौंपा गया। इन्हें **2022** में **मृत्यूपरांत पद्मविभूषण** सम्मान दिया गया।
44.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019 से लगातार	अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा	**उत्तर प्रदेश** से **विधानसभा सदस्य** व **कैबिनेट मंत्री** रहे। **16वीं लोकसभा** में **लोकसभा सदस्य** तथा **2 बार राज्यसभा सदस्य** भी रहे हैं। ये 22 जुलाई से 8 सितम्बर, 2019 तक **हिमाचल प्रदेश** के **राज्यपाल** भी रहे। इन्होंने 'निमित्त मात्र हूँ मैं' आत्मकथा लिखी।
45.				
स्रोत– राजभवन ऑफिशियल वेबसाईट				

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन (4 बार)					
क्र. सं.	समय	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	राष्ट्रपति	कारण
1	**13.03.1967 से 26.04.1967 तक (44 दिन)**	डॉ. सम्पूर्णानन्द श्री हुकुमसिंह	मोहनलाल सुखाड़िया	डॉ. राधाकृष्णन्	**अस्पष्ट बहुमत (सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन)**
2	30.04.1977 से 21.06.1977 (53 दिन)	**वैदपाल त्यागी रघुकुल तिलक**	**हरिदेव जोशी**	**बी.डी. जत्ती**	1975 का राष्ट्रीय आपातकाल
3	**17.02.1980 से 05.06.1980 तक (110 दिन)**	रघुकुल तिलक	भैरोंसिंह शेखावत	नीलम संजीव रेड्डी	**गैर कांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी)**
4	15.12.1992 से 03.12.1993 (354 दिन)	**एम. चेन्ना रेड्डी धनिकलाल मण्डल बलिराम भगत**	**भैरोंसिंह शेखावत**	**शंकरदयाल शर्मा**	बाबरी मस्जिद विवाद (भाजपा सरकार) सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन

2 मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्

❖ मुख्यमंत्री

- संघात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन दो स्तरों पर होता है–
  1. केन्द्र स्तर 2. राज्य स्तर
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है।
  1. वास्तविक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री) 2. औपचारिक कार्यपालिका, (राज्यपाल)
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तथा मंत्रिपरिषद् मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व में कार्य करती है।
- संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केन्द्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा राज्य का शासक व सर्वोच्च नेता कहलाता है।
- मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के भाग–6 में है।

अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 166	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन
अनुच्छेद 167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्त्तव्य

✦ अनुच्छेद–163– राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

✦ अनुच्छेद–163(1)– राज्यपाल को अपने **विवेकानुसार निर्णय** को छोड़कर अपने कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक **मंत्रिपरिषद्** होगी, जिसका मुखिया, मुख्यमंत्री होगा।

✦ अनुच्छेद–164– मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान

✦ अनुच्छेद–164(1)– मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति **राज्यपाल** मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

- राज्यपाल, प्रायः विधानसभा में **बहुमत दल के नेता** को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता हैं।
- यदि आम चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हो या विधानसभा में कोई सर्वमान्य नेता न हो तब भी राज्यपाल **अपने विवेक से** मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को **1 माह** के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है।

➢ कार्यकाल– सामान्यतः 5 वर्ष

- मुख्यमंत्री राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत अपने पद** पर बना रहता है। प्रसादपर्यंत का तात्पर्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से है। यदि **विधानसभा में बहुमत न हो** तो समय से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ता है।
- **मुख्यमंत्री अपना** त्यागपत्र **राज्यपाल** को सौंपता है।
- मुख्यमंत्री का त्याग–पत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्याग–पत्र माना जाता है।

✦ पद से हटाना– विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है।

- यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे तो मंत्रिपरिषद् का अंत हो जाता है।

✦ अनुच्छेद 164(3)– **शपथ**

- किसी मंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है।
- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है।

✦ अनुच्छेद 164(4)– मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा सदस्यों की होती है।

- जैसे–न्यूनतम **आयु 25 वर्ष**
- सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है यदि सदस्य न हो तो **6 माह** के भीतर विधानमण्डल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।

☞ **नोट**– यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह **राष्ट्रपति** चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही भाग लेने का उल्लेख है तथा मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

- यदि मुख्यमंत्री **विधानपरिषद्** का सदस्य है तो वह **अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं** कर सकता।

✦ अनुच्छेद 164(5)– **वेतन एवं भत्ते**

- मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है।
- मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन 75,000 रुपए है।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री						
क्र.सं.	उप मुख्यमंत्री का नाम	कार्यकाल	अवधि	मुख्यमंत्री	दल	विशेषता
1.	श्री टीकाराम पालीवाल	1952–1954	2 वर्ष 13 दिन	जय नारायण व्यास	कांग्रेस	प्रथम उपमुख्यमंत्री
2.	श्री हरिशंकर भाभड़ा	1993–1998	4 वर्ष 11 माह 28 दिन	भैंरोसिंह शेखावत	भाजपा	विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
3.	श्री बनवारीलाल बैरवा	2002–2003	1 वर्ष 6 माह 17 दिन	अशोक गहलोत	कांग्रेस	
4.	श्रीमती कमला बेनीवाल	2003	10 माह 24 दिन	अशोक गहलोत	कांग्रेस	पहली महिला उपमुख्यमंत्री
5.	श्री सचिन पायलट	2018–2019	1 वर्ष 6 माह 19 दिन	अशोक गहलोत	कांग्रेस	
6.	सुश्री दिया कुमारी	2023–लगातार		भजन लाल शर्मा	भाजपा	दूसरी महिला उपमुख्यमंत्री
7.	श्री प्रेमचंद बैरवा	2023–लगातार		भजन लाल शर्मा	भाजपा	

- राजस्थान के एकमात्र उपमुख्यमंत्री जो **विधानसभा अध्यक्ष** भी रहे– हरिशंकर भाभड़ा
- राजस्थान के पहले गैरकांग्रेसी उपमुख्यमंत्री– हरिशंकर भाभड़ा
- उपमुख्यमंत्री के रूप में **सर्वाधिक कार्यकाल**–हरिशंकर भाभड़ा
- वर्तमान में दो उपमुख्यमंत्री–
  1. सुश्री दिया कुमारी (विद्याधरनगर)
  2. प्रेमचंद बैरवा (दूदू)
- इन्होंने 15 दिसम्बर, 2023 को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

☞ नोट– **16वीं विधानसभा** में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यकाल में **वर्ष 2023** में एक साथ **2 उपमुख्यमंत्री** (सुश्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा) है।

❖ राज्य मंत्रिपरिषद् (The State Council of Ministers)

✦ अनुच्छेद–163(1)– जिन विषय में संविधान द्वारा या उसके अधीन **राज्यपाल** से यह अपेक्षित है कि **वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को** अपने विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए **एक मंत्रिपरिषद** होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।

✦ अनुच्छेद 164(1)– मुख्यमंत्री की नियुक्ति **राज्यपाल** करेगा और **अन्य मंत्रियों की नियुक्ति** राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा तथा मंत्री **राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना** पद धारण करेंगे।

- यदि कोई मंत्री विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है।

✦ अनुच्छेद 164(1क)– किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के **सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं** होगी, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की **संख्या 12 (11+1) से कम नहीं** होगी।

☞ ध्यान रहे– **91वें संविधान संशोधन 2003** (लागू– 1 जनवरी, 2004) के अनुसार **अनुच्छेद 164 (1)** में 'क' जोड़कर यह प्रावधान लागू किया गया।

☞ नोट– सिक्किम (32), मिजोरम (40) व गोवा (40) में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होने के कारण यहाँ अधिकतम 7 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद् में नियुक्त किया जा सकता है।

- वर्तमान में **राजस्थान विधानसभा** में सदस्यों की **संख्या** 200 है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित **मंत्रियों की न्यूनतम संख्या** 12 तथा **अधिकतम** संख्या 30 हो सकती है।

☞ **ध्यान रहे**– 91वें संविधान संशोधन–2003 लागू होने के बाद किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन **राज्य मंत्रिमंडल** में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

☞ **ध्यान रहे**– यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन–2003 में निर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक हो तो भारतीय संविधान के अनुसार **6 माह के भीतर** अनुरूपता लाई जायेगी।

मंत्रिमण्डल व मंत्रिपरिषद् की तुलना	
मंत्रिमण्डल	**मंत्रिपरिषद्**
मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता मंत्रिमण्डल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद–352 में जोड़ा गया।	**इस शब्द का उल्लेख** **1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्** (अनुच्छेद–74) **2. राज्य मंत्रिपरिषद्** (अनुच्छेद–163)
इसका आकार छोटा होता है।	**इसका आकार बड़ा होता है।**
ज्यादा शक्तिशाली	कम शक्तिशाली
इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं।	**इसमें सभी मंत्री आते हैं। जैसे– कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री**
मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य मंत्रिमण्डल में नहीं होते।	**मंत्रिमण्डल के** सभी सदस्य **मंत्रिपरिषद् में होते हैं।**

12. वसुंधरा राजे– जन्म– 1953 मुम्बई

- इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के दिन हुआ।
- राजस्थान की **प्रथम महिला मुख्यमंत्री** बनी।
- यह राजस्थान **भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्ष** रही।
- यह **6 बार विधायक** व **5 बार लोकसभा सांसद** रह चुकी हैं।
- यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय **2 बार केन्द्र में मंत्री** रही।
- यह राजस्थान विधानसभा में **2 बार विपक्ष नेता** बनी।

➢ इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान **9 मुख्य सचिव** रहे।
1. **आर.के. नायर** 2. **अनिल वैश्य** 3. **डी.सी. सामंत**
4. **सी.एस. राजन** 5. **राजीव महर्षि** 6. **ओमप्रकाश मीणा**
7. **अशोक जैन** 8. निहालचन्द गोयल 9. **देवेन्द्र भूषण गुप्ता**

13. अशोक गहलोत– उपनाम– जादूगर

- जन्म– 1951 जोधपुर
- वर्तमान में ये **सरदारपुरा** (जोधपुर) से विधायक हैं।
- इन्होंने अल्बर्ट हॉल, जयपुर में 17 दिसम्बर, 2018 को मुख्यमंत्री के रूप में **तीसरी बार शपथ** ली।
- ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब **लोकसभा सांसद** थे, उपचुनाव में निर्वाचित होकर विधायक बने।
- ये **6 बार विधायक** व **5 बार लोकसभा सांसद** रह चुके हैं।
- ये राजस्थान NSUI के **अध्यक्ष** भी रहे थे।
- इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में **3 बार शपथ** ली है।
- ये पूर्व **प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी**, **राजीव गाँधी** व **पी.वी. नरसिम्हा राव** के समय **केन्द्र में मंत्री** रहे चुके हैं।
- इनके समय 25 दिसम्बर, 2000 को **अंत्योदय अन्न योजना** की शुरुआत की गई।
- इनके समय वर्ष **2012–13** में सर्वप्रथम **जेण्डर बजट प्रस्तुत** किया गया तथा वर्ष **2022–23** में **प्रथम बार कृषि बजट** प्रस्तुत किया गया।
- इनके मुख्यमंत्री के समय **3 उपमुख्यमंत्री** भी बनाए गए–
  1. **बनवारी लाल बैरवा** 2. **कमला बेनीवाल** 3. **सचिन पायलट**

➢ इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान **13 मुख्य सचिव** रहे।

1. **अरूण कुमार**	2. इन्द्रजीत खन्ना
3. आर.के. नायर	4. डी.सी. सामंत
5. कुशल सिंह (प्रथम महिला)	6. टी. श्रीनिवासन
7. सलाउद्दीन अहमद	8. सी.के. मैथ्यू
9. सी.एस. राजन	10. देवेन्द्र भूषण गुप्ता
11. राजीव स्वरूप	12. निरंजन कुमार आर्य
13. **उषा शर्मा** (द्वितीय महिला)	

14. भजन लाल शर्मा–

- **जन्म**– 15 दिसम्बर, 1966 (अटारी, भरतपुर)
- वर्तमान में ये **सांगानेर** (जयपुर) से विधायक हैं।
- वर्तमान में यह **पदक्रम के अनुसार 26वें** तथा **व्यक्तिक्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री** है। इन्होंने रामनिवास बाग, जयपुर में 15 दिसम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में **प्रथम बार शपथ** ली।
- ये **2014** से **2016** तक **भारतीय जनता पार्टी** के राजस्थान के **प्रदेश उपाध्यक्ष** रहे तथा **2016** से **2023** तक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश महामंत्री रहे थे।
- मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद् में मंत्री नहीं रहे।
- ये प्रथम बार विधायक बने हैं।

➢ इनके समय **2 उपमुख्यमंत्री** भी बनाए गए–
1. **सुश्री दीया कुमारी** 2. **श्री प्रेमचंद बैरवा**

➢ इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान **2 मुख्य सचिव**–
1. **उषा शर्मा** 2. **सुधांश पंत** (वर्तमान में मुख्य सचिव है।)

✦ महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री– **सुचेता कृपलानी**
- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री– **हीरालाल शास्त्री**
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री– **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान की केयरटेकर सरकार (कामचलाऊ सरकार) के मुख्यमंत्री– **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान में केन्द्र द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री– **3**
  1. **हीरालाल शास्त्री** 2. **सी.एस. वैंकटाचारी** 3. **जयनारायण व्यास**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री– **मोहनलाल सुखाड़िया** (16 वर्ष, 194 दिन)
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री– **हीरालाल देवपुरा** (16 दिन)
- राजस्थान में प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री– **बरकतुल्ला खान**
- राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री– **भैरोंसिंह शेखावत**
- राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री– **वसुंधरा राजे**
- राजस्थान में भारत–पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री– **बरकतुल्ला खान** (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- राजस्थान में 1975 के **आपातकाल** के समय मुख्यमंत्री– **हरिदेव जोशी**
- राजस्थान में प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री– **जगन्नाथ पहाड़िया**

3 राज्य विधानमण्डल

राज्य विधानमण्डल (The State Legislature) (भाग–6 अनुच्छेद–168–212)

- केन्द्र में संसद के समान **राज्य की विधायिका/व्यवस्थापिका** को विधानमण्डल कहते है, जिसका उद्देश्य है राज्य में कानून निर्माण करना।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम बीकानेर रियासत** द्वारा विधानसभा के गठन हेतु प्रयास किया गया था।

✦ अनुच्छेद–168– राज्यों के विधानमण्डलों का गठन

✦ **अनुच्छेद–168(1)**– प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा, जो **राज्यपाल, विधानसभा** व **विधानपरिषद्** से मिलकर बनेगा।

➢ **(क)** जिन राज्यों में **2 सदन** हैं वहाँ **राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद् से मिलकर विधानमण्डल** का गठन होगा।

➢ **(ख)** जिन राज्यों में **1 सदन** है वहाँ **राज्यपाल** और **विधानसभा** से मिलकर विधानमण्डल का गठन होगा।

☞ **नोट**– वर्तमान में केवल **6 राज्यों** में ही **द्वि–सदनात्मक विधानमण्डल** (बाइकैमरल) है। राजस्थान सहित शेष **22 राज्यों** में एक सदनात्मक विधानमण्डल (यूनीकैमरल) है, जिसमें केवल **एक सदन** (विधानसभा) है।

✦ **द्वि–सदनात्मक विधानमण्डल**– **उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक** व **तेलंगाना**।

✦ **अनुच्छेद 168(2)**– किसी राज्य के विधानमण्डल के **2 सदन** है वहाँ एक सदन का **नाम विधानपरिषद्** और दूसरे का नाम **विधानसभा** होगा तथा जिस राज्य में केवल **एक सदन** है, उसका नाम **विधानसभा** होगा।

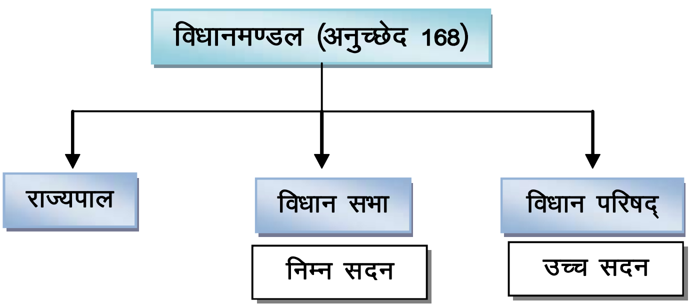

✦ अनुच्छेद 172– राज्यों के विधानमण्डलों का कार्यकाल

✦ **अनुच्छेद 172(1)**– प्रत्येक राज्य की विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल अपने **प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक** होता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर **विधानसभा स्वतः ही विघटित** हो जाती है।

- **राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से** समय से पहले विधानसभा को **विघटित** कर सकता है।
- परन्तु **राष्ट्रीय आपातकाल** के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में **एक वर्ष तक** बढ़ा सकती है लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार **6 माह** की अवधि से अधिक नहीं होगा।
- आपातकाल समाप्त होने के बाद **6 माह के अन्दर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य** है।

☞ **नोट**– आपातकाल के कारण राजस्थान में **5वीं विधानसभा** का कार्यकाल बढ़ाया गया था जो कि **सर्वाधिक कार्यकाल** वाली विधानसभा है।

✦ **अनुच्छेद 172(2)**– राज्य **विधानपरिषद् का विघटन नहीं** होता है, लेकिन उसके सदस्यों में से **एक तिहाई (1/3) सदस्य** संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार प्रत्येक **द्वितीय वर्ष** की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

- विधानपरिषद् के सदस्यों का **कार्यकाल 6 वर्ष** होता है।

✦ अनुच्छेद 173– विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ

- किसी राज्य में विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए संविधान में निम्न योग्यताएँ (अर्हताएँ) निर्धारित की गई है–

➢ **(क)**– वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए।

- वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष **तीसरी अनुसूची** में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार **शपथ या प्रतिज्ञान** करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।

➢ **(ख)**– विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम **25 वर्ष** की आयु तथा विधानपरिषद् के सदस्य बनने के लिए कम से कम **30 वर्ष** की आयु पूर्ण हो।

➢ **(ग)**– उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हो, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो।

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के तहत संसद द्वारा निम्नलिखित अर्हताएँ (योग्यताएँ) निर्धारित की गई है–**

1. विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति उस **राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता** भी होना चाहिए।
2. विधानपरिषद् में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति **विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो** और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उस राज्य का निवासी होना चाहिए।

✦ **अनुच्छेद 186– अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते**

- विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधानपरिषद् सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो राज्य **विधानमण्डल द्वारा विधि बनाकर निर्धारित** किए जाएंगे।
- इनके वेतन–भत्तों का उल्लेख **अनुसूची–2** में मिलता है।

✦ **अनुच्छेद 189– सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति**

✦ **अनुच्छेद 189(1)**– राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन की बैठक में **सभी प्रश्नों का निर्धारण**, (अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर) **उपस्थित** और **मत देने वाले सदस्यों** के **बहुमत** से किया जायेगा।

- **अध्यक्ष या सभापति** अथवा **उस रूप में कार्य करने वाला** व्यक्ति **प्रथमतः मत नहीं देगा**, किन्तु मत बराबर होने की दशा में **उसका निर्णायक मत** होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

✦ **अनुच्छेद 189(2)**– राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन की सदस्यता में कोई **रिक्ति होने** पर भी, उस **सदन को कार्य करने की शक्ति होगी** तथा बाद में पता चलता है कि **कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं** था, कार्यों में उपस्थित रहा या मत दिया है तो भी राज्य के विधानमण्डल की **कार्यवाही विधिमान्य** होगी।

✦ **अनुच्छेद 189(3)**– जब तक राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के विधानमण्डल के किसी **सदन का अधिवेशन गठित** करने के लिए **गणपूर्ति 10 सदस्य** या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का **10वाँ भाग** (1/10) **इसमें से जो भी अधिक** हो।

- राजस्थान विधानसभा में **गणपूर्ति हेतु 20 सदस्य** होने चाहिए।

✦ **अनुच्छेद 189(4)**– यदि राज्य की **विधानसभा या विधानपरिषद्** के अधिवेशन में **किसी समय गणपूर्ति** नहीं है तो **अध्यक्ष** या **सभापति** अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह **कर्त्तव्य** होगा कि वह **सदन को स्थगित** कर दे, अन्यथा **अधिवेशन** को तब तक के लिए **निलंबित** कर दें जब तक कि **गणपूर्ति नहीं हो** जाती है।

❖ राज्य विधानमण्डल के सत्र

✦ **अनुच्छेद–174– राज्य के विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन**

✦ **अनुच्छेद–174(1)**– राज्यपाल समय–समय पर, राज्य के विधानमण्डल के सदन या सदनों का **सत्र आहूत** (बुलाने) करेगा, लेकिन **एक सत्र की अंतिम बैठक** और आगामी सत्र की **प्रथम बैठक** के मध्य **नियत तारीख से 6 माह का अन्तर नहीं** होगा अर्थात् **1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य** है।

✦ **अनुच्छेद 174(2क)**– राज्यपाल समय–समय पर राज्य के **विधान मण्डल** के सदन या सदनों का **सत्रावसान** (Prorogue) करेगा।

✦ **अनुच्छेद 174(2ख)**– राज्यपाल समय–समय पर **विधानसभा को विघटित** (Disolve) कर सकता है।

- विधानमण्डल के सत्र की अध्यक्षता **विधानसभा अध्यक्ष द्वारा** की जाती है।
- विधानसभा का स्थगन **विधानसभा अध्यक्ष द्वारा** किया जाता है।
- स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है, सत्र नहीं। जबकि **सत्रावसान** से सत्र समाप्त हो जाता है।
- सामान्यत: 1 वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है–

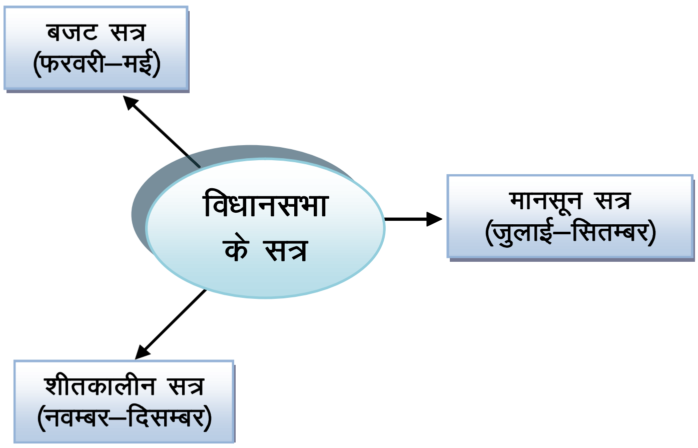

☞ **नोट**– दो सत्रों के बीच अधिकतम **6 माह** का अन्तराल हो सकता है तथा इस अन्तराल को **विश्रांतिकाल** कहा जाता है।

- जब विधानमण्डल की बैठकों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे **साइन–डाई** कहा जाता है।

✦ **अनुच्छेद–177– सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार**

- **प्रत्येक मंत्री** और **राज्य के महाधिवक्ता** को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधानपरिषद् वाले राज्य में दोनों सदनों में **बोलने** और उनके **कार्यवाहियों में भाग** लेने का अधिकार है, किन्तु **मत देने का अधिकार नहीं** है।

✦ **विधायी प्रक्रिया**

- विधानमण्डल का संसद के समान मुख्य उद्देश्य **कानून निर्माण करना** है, इसके लिये **विधेयक सदन** में रखे जाते है।

- 16वें विधानसभा चुनाव में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई।
- 16वें विधानसभा चुनाव में **पहली बार QR कोड** वाली मतदाता सूचना पर्ची और वोटर गाइड का वितरण किया गया।
- 16वीं विधानसभा में कुल मतदान– 75.45% (पिछली बार से 0.73% मतदान बढ़ोतरी हुई।), जिसमें पुरुषों ने 74.53% व महिलाओं ने 74.72% मतदान किया।
- 16वीं विधानसभा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया।
- 199 **सीटों** पर हुए मतदान में 3,82,066 (0.96%) मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जिसमें **झाड़ोल विधानसभा सीट** पर सर्वाधिक 6,488 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना।
- सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र– **कुशलगढ़** (88.13%), **पोकरण** (87.79%) व **तिजारा** (86.11%)
- न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र– **आहोर** (61.24%), **सुमेरपुर** (61.44%) व **मारवाड़ जंक्शन** (61.59 %)
- 16वीं विधानसभा में भाजपा को 41.69% व कांग्रेस को 39.53% मत मिले।
- सर्वाधिक मतों से विजय– दीया कुमारी (71,365 मत), विद्याधरनगर
- न्यूनतम मतों से विजय– हंसराज पटेल (321 मत), कोटपूतली

- 16वीं विधानसभा में **महिला विधायक**– 20
- SC महिला विधायकों की संख्या– 7
- ST महिला विधायकों की संख्या– 2
- 20 महिला विधायकों में 9 भाजपा, 9 कांग्रेस व 2 निर्दलीय विजयी हुए।

- 16वीं विधानसभा में **पहली बार** निर्वाचित हुए विधायक– 72
- सबसे वरिष्ठ विधायक– **हरिमोहन शर्मा** (83 वर्ष), बूँदी
  दीपचंद खैरया (83 वर्ष), किशनगढ़बास
- सबसे युवा विधायक– **रवीन्द्र सिंह** (25 वर्ष), शिव
- सबसे कम उम्र की महिला विधायक– **नौक्षम चौधरी** (33 वर्ष) **कामां**
- 40 वर्ष से कम आयु के विधायक– 28
- **16वीं विधानसभा का गठन**– 04 दिसम्बर, 2023
- **शपथ**– 15 दिसम्बर, 2023
- 16वीं विधानसभा की प्रथम बैठक– 19 जनवरी, 2024

16वीं विधानसभा की वर्तमान दलीय स्थिति
(जुलाई 2024 तक की स्थिति)

दल	कुल सीट
भारतीय जनता पार्टी	115
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	66
भारतीय आदिवासी पार्टी	3
बहुजन समाज पार्टी	2
राष्ट्रीय लोक दल	1
निर्दलीय	8
रिक्त	5
कुल	200

(स्रोत– ऑफिसियल वेवसाईट राजस्थान विधानसभा)

16वीं विधानसभा में उपचुनाव

नाम विधानसभा सीट	रिक्त होने का कारण	उपचुनाव की दिनांक	उपचुनाव में विजेता
1. बागीदौरा (बांसवाड़ा)	महेन्द्रजीत सिंह मालवीय द्वारा इस्तीफा	26 अप्रैल 2024	जयकृष्ण पटेल (बीएपी)
2. खींवसर (नागौर)	हनुमान बेनिवाल द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाने पर इस्तीफा		
3. चौरासी (बांसवाड़ा)	राजकुमार रोत द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाने पर इस्तीफा		
4. झुंझुनूं	बृजेन्द्र सिंह औला द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाने पर इस्तीफा		
5. दौसा	मुरारी लाल मीणा द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाने पर इस्तीफा		
6. देवली–उणियारा (टोंक सवाईमाधोपुर)	हरीशचन्द्र मीणा द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाने पर इस्तीफा		

❖ विधानपरिषद् (अनुच्छेद–171)

- केन्द्र में संसद के उच्च सदन राज्यसभा के समकक्ष विधानपरिषद् राज्य विधानमण्डल का उच्च सदन है।

✦ अनुच्छेद–169– राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन

✦ **अनुच्छेद–169(1)–** **अनुच्छेद 168** में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून बनाकर किसी राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या समापन कर सकेगी, यदि उस राज्य की **विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत** तथा **उपस्थित** और **मत देने वाले सदस्यों की संख्या** के कम से कम **दो तिहाई बहुमत** द्वारा संकल्प पारित कर दिया गया हो।

✦ **अनुच्छेद–169(3)–** इस प्रकार का कोई भी कानून अनुच्छेद **368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं** समझा जायेगा।

✦ अनुच्छेद–171– विधान परिषदों की संरचना

✦ **अनुच्छेद–171(1)–** राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के **एक तिहाई** (1/3) से अधिक नहीं होगी।

- लेकिन किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में **40 से कम नहीं** होगी।

✦ **अनुच्छेद–171(2)–** जब तक संसद कानून बनाकर उपबन्ध न करे, तब तक किसी राज्य की **विधानपरिषद् की संरचना खण्ड 3 में उपबन्ध रीति** से होगी।

✦ **अनुच्छेद–171(3)–** जब तक संसद कानून बनाकर प्रावधान नहीं करती है, तब तक किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या निम्न प्रकार होगी–

➢ **(क)– एक तिहाई** (1/3) सदस्य उस राज्य की **नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों** और ऐसे अन्य **स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों** से मिलकर बनने वाले **निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित** होंगे।

➢ **(ख)– 1/12 सदस्य** किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम **3 वर्ष से स्नातक की डिग्री** प्राप्त करने वाले **नागरिकों** के **निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित** होंगे।

➢ **(ग)– 1/12 सदस्य** राज्य के अन्दर **माध्यमिक विद्यालय** तथा **महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों** से मिलकर **निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित** होंगे।

➢ **(घ)– 1/3 सदस्य** राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे, जो **विधानसभा के सदस्य नहीं** हैं।

➢ **(ङ)– शेष 1/6** सदस्य **राज्यपाल द्वारा मनोनीत** किए जाएंगे।

✦ **अनुच्छेद–171(4)–** **खण्ड 3** के उपखण्ड **क, ख व ग** के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे **प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से चुने जाएंगे**, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगे तथा **उपखण्ड घ** के अधीन **निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत** द्वारा होंगे।

✦ **अनुच्छेद–171(5)– राज्यपाल द्वारा मनोनीत** किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें **साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन** और **समाज सेवा का विशेष ज्ञान** या व्यावहारिक अनुभव हो।

- **7वें संविधान संशोधन अधिनियम,** 1956 द्वारा **मध्यप्रदेश में भी विधानपरिषद् का प्रावधान** किया, लेकिन **गठन नहीं** हुआ।
- राज्यों के **पुनर्गठन** के समय (1956) कुल **5 राज्यों में विधानपरिषदें** थी। (बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर)
- विधानपरिषद् के सर्वाधिक सदस्यः **उत्तरप्रदेश** (100), दूसरा स्थानः **महाराष्ट्र** (78) का है।

✦ **जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम–** 2003 के अन्तर्गत **विधानपरिषदों** तथा **राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान** के स्थान पर **खुली मतदान व्यवस्था** अपनायी। इसके तहत मतदाता अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है।

- **18 अप्रैल, 2012** को राजस्थान में विधानपरिषद् की स्थापना हेतु विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर **संसद को भेजा** गया, लेकिन संसद द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई भी **कानून नहीं बनाया** गया है।
- **राजस्थान** में अगर विधानपरिषद् की स्थापना होती है तो, विधानपरिषद् के **सदस्यों की अनुमत संख्या 66** होगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं में आये हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. राजस्थान में, अनुसूचित जाति के लिये लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है– **(BSTC-2024)**
   4 और 34
2. राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत है– **(PTET-2024)**
   10%
3. राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है– **(Raj. Police 2024 K-2)**
   25 वर्ष
4. राज्य विधानपरिषद् में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? 40 **(Raj. Police 2024 K-2)**
5. भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये......से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनती है।
   500 **(Asst. Pro. (Pol.Sci.)-2024)**

4 राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम

- राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम–1956 में बनाए गए।
- इस नियम में कुल 25 अध्याय हैं।

✦ अध्याय–1– संक्षिप्त नाम तथा परिभाषाएँ

- यह नियम राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम कहलाएंगे।

✦ अध्याय–2– सदस्यों का आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या प्रतिज्ञान सदस्यों की नामावली तथा सत्र और बैठकों की संख्या

➢ **सभा का आह्वान**– जब सभा को किसी सत्र में आमंत्रित किया जाए, तो विधानसभा सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा जो **राज्यपाल** द्वारा सभा की बैठक बुलाने के लिए नियमित (तय) किए गए हों तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा।

- यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो सचिव सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय व स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्देशित की जायेगी।

➢ **सत्र और बैठकों की संख्या**– अनुच्छेद–174 के उपबन्धों के अधीन एक कैलेण्डर वर्ष में विधानसभा कम से कम 3 सत्र (शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र) होंगे तथा एक कैलेण्डर वर्ष में सभी सत्रों की बैठकों की **कुल संख्या 60** से कम नहीं होगी।

➢ **सदस्यों के बैठने का क्रम**– सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो अध्यक्ष निर्धारित करें।

➢ **संविधान के अनुच्छेद–193 के प्रावधानों के उल्लघंन पर शास्ति**– सदन में केवल सदस्य के लिए आरक्षित स्थान पर सदस्य के अलावा **अन्य व्यक्ति** नहीं बैठेगा।

- ऐसा व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद–193 के प्रावधानों का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाए, तो अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि वह अनुच्छेद–193 के प्रावधानों का भागी है और इस संबंध में **अध्यक्ष** का निर्णय अंतिम होगा।

➢ **शपथ या प्रतिज्ञान**– सदस्य निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद यथाशीघ्र, सचिव **अनुच्छेद–188** के अनुसरण में **राज्यपाल** अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ऐसे स्थान पर तथा ऐसी तारीख और समय पर जो कि **राज्यपाल** अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्धारित करें, उसके शपथ लेने, प्रतिज्ञान करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था करेगा।

➢ **सदस्यों की नामावली**– सदन के सदस्यों की एक नामावली होगी, जिस पर प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठने से पहले, सचिव के सामने हस्ताक्षर करेगा।

✦ अध्याय–3– अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति–तालिका

➢ **सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन**– अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जायेगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को **सचिव** द्वारा दी जायेगी।

➢ **सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन**– उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि **अध्यक्ष** द्वारा निश्चित की जायेगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जायेगी।

➢ **सभापति–तालिका**– सदन के प्रारम्भ पर या समय–समय पर जैसी स्थिति हो, अध्यक्ष सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा। जिनमें से कोई एक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पीठासीन व्यक्ति के कहने पर, सदन में पीठासीन हो सकेगा।

- **मनोनीत सभापति** नई सभापति तालिका मनोनीत किए जाने तक पद धारण करेगा।

✦ अध्याय–4– सदन की बैठकें

➢ **सदन की बैठक**– सदन की बैठक तभी विधिवत गठित होगी, जब उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो, जो संविधान या इस **नियमावली के अन्तर्गत** सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो।

- सदन की बैठकें उन दिनों होगी जिनका निर्देश **अध्यक्ष** सदन के कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर दे।
- सदन की बैठक साधारणतः सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक होगी।

➢ **सदन का स्थगन**– अध्यक्ष वह समय निर्धारित करेगा, जबकि सदन की बैठकें अनिश्चित काल के लिए या किसी ओर दिन के लिए या **उसी दिन** के किसी समय के लिए स्थगित की जायेगी।

- अध्यक्ष यदि उचित समझे तो उस तिथि विशेष या समय से पूर्व या अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद भी किसी भी समय सदन की बैठक को बुला सकता है।

- यदि अध्यक्ष का या तो स्वयं या विधानसभा सचिवालय की एजेंसी के मार्फत या किसी ऐसी अन्य एजेंसी, जो वह ठीक समझे, की मार्फत संक्षिप्त जाँच के पश्चात् **समाधान** हो जाता है कि त्यागपत्र स्वेच्छया या वास्तविक नहीं है तो वह **त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा।**
- कोई सदस्य **अध्यक्ष द्वारा** स्वीकार किये जाने से पूर्व अपना त्यागपत्र **वापस** ले सकेगा।
- अध्यक्ष, **किसी सदस्य का त्यागपत्र** स्वीकार करने के पश्चात् यथाशीघ्र सदन को सूचना देगा कि सदस्य ने सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उसने **त्यागपत्र** स्वीकार कर लिया है।
- जब सदन सत्र में नहीं है तो अध्यक्ष सदन की फिर से बैठक होने के तुरंत पश्चात् **सदन को सूचित करेगा।**
- अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात् यथाशीघ्र सचिव इस जानकारी को **विधानसभा समाचार** और **राजपत्र** में प्रकाशित करवायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु कार्यवाही करने के लिए भेजेगा।

✦ अध्याय–22– सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

- जो सदस्य संविधान के **अनुच्छेद–190** के अन्तर्गत सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे तो वह **अध्यक्ष को लिखित रूप में** आवेदन पत्र देगा।
- किसी एक समय में 60 दिन से अधिक समयावधि की **अनुपस्थिति** की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा।

✦ अध्याय–23– राज्यपाल तथा सदन के बीच संवाद

- राज्यपाल से सदन को संवाद **राज्यपाल द्वारा** हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा **अध्यक्ष** को किया जायेगा या यदि राज्यपाल सदन की बैठक से अनुपस्थित हो तो, उसका संदेश **मंत्री के जरिए** अध्यक्ष को भेजा जायेगा।

✦ अध्याय–24– समितियाँ

- विधानसभा की समितियों को **मुख्य रूप से 2 भागों** में बांटा गया है– 1. **तदर्थ समितियाँ** 2. **स्थायी समितियाँ**

1. तदर्थ समितियाँ– किसी विधेयक के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति तथा **सदन द्वारा** किसी प्रकरण के संबंध में गठित किसी प्रकार की जाँच समिति को **तदर्थ समिति** कहा जाता है।
2. स्थायी समितियाँ– स्थायी समितियाँ **सभी विधानमण्डलों में** नियमित रूप से गठित की जाती है।

- राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए **22 समितियों** की व्यवस्था की गई है, जिसमें **4 वित्तीय समितियाँ, 17 स्थायी समितियाँ** व **1 अस्थायी समिति** है।

वित्तीय समितियाँ

(1) लोक/जन लेखा समिति

- **गठन–** 10 अप्रैल, 1952
- **अधिकतम सदस्य–** 15, **कार्यकाल–** 1 वर्ष
- **अध्यक्ष–** विपक्ष दल का सदस्य।
- यह समिति सदन द्वारा एकल **संक्रमणीय मत** द्वारा निर्वाचित की जाती है।
- यह समिति राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा अनुदत राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखों की **जाँच** करती है, जिन्हें वह ठीक समझे।
- यह **समिति** राज्य के विनियोग लेखों तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करती है।
- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए **सदन द्वारा** अनुदत राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो तो ऐसे मामलों की **जाँच** समिति करती है।
- अध्यक्ष किसी भी समय इसकी पदावधि को **6 माह** तक बढ़ा सकता है।

(2) प्राक्कलन समिति 'क'

- कार्यकाल– **1 वर्ष,** अधिकतम सदस्य– 15
- प्राक्कलन समिति **क** व **ख** का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचिन किया जाता है।
- **अध्यक्ष** या सदन किसी भी समय भिन्न–भिन्न समितियों में अलग–अलग विभागों से संबंधित प्राक्कलनों के पारस्परिक बंटवारे में **परिवर्तन** कर सकता है।
- इस समिति को 17 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का दायित्त्व सौंपा गया है।
- इसमें **उद्योग एवं खनन**, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त, शिक्षा, **विधि एवं न्याय**, आबकारी एवं कर, **वन, ऊर्जा** आदि विभाग आते हैं।

(3) प्राक्कलन समिति 'ख'

- इस समिति को **16 विभागों** से संबंधित परीक्षण करने का दायित्त्व सौंपा गया है।
- इसमें राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद एवं नागरिक आपूर्ति, जन–स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी आदि विभाग आते हैं।

विधानसभा समितियाँ वर्ष 2024–25

क्र.सं.	समिति का नाम	प्रथम गठन	अधिकतम सदस्य संख्या	अध्यक्ष
	वित्तीय समितियाँ			
1.	जन लेखा समिति	मार्च 1953	15	टीकाराम जूली
2.	राजकीय उपक्रम समिति	अप्रैल 1968	15	कालीचरण सराफ
3.	प्राक्कलन समिति 'क'	मार्च 1953 (1981)*	15	अर्जुनलाल जीनगर
4.	प्राक्कलन समिति 'ख'	मार्च 1953 (1981)*	15	श्रीचन्द कृपलानी
	जाँच करने वाली समितियाँ			
5.	विशेषाधिकार समिति	1953	15	पुष्पेन्द्र सिंह
6.	याचिका समिति	1952	15	हमीर सिंह भायल
7.	प्रश्न एवं संदर्भ समिति	अप्रैल, 1991	15	संदीप शर्मा
8.	सदाचार समिति	अप्रैल, 2015	9	हरीश चौधरी
	संवीक्षा करने वाली समितियाँ			
9.	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	दिसम्बर, 1955	15	जितेन्द्र कुमार गोठवाल
10.	अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	मई, 1989	15	अनीता भदेल
	सभा के कार्य से सम्बन्धित समितियाँ			
11.	कार्य सलाहकार समिति	1952	15	वासुदेव देवनानी
12.	नियम समिति/नियम उपसमिति	मार्च 1954	15	वासुदेव देवनानी
	सदस्य सुविधाओं से सम्बन्धित समितियाँ			
13.	गृह समिति	1952	15	प्रताप सिंह सिंघवी
14.	पुस्तकालय समिति	1973	10	सुरेन्द्र सिंह राठौड़
	अन्य समितियाँ			
15.	अनुसूचित जाति कल्याण समिति	मई 1972#	15	विश्वनाथ मेघवाल
16.	अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति	अप्रैल 1974#	15	फूलसिंह मीणा
17.	पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति	मई 2001	15	केसाराम चौधरी
18.	अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति	अप्रैल 2012	15	पब्बाराम विश्नोई
19.	महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति	अप्रैल 1991	15	शौभा चौहान
20.	पर्यावरण समिति	अप्रैल 2012	15	डॉ. दयाराम परमार
21.	स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति	अप्रैल 2012	15	हरिसिंह रावत
22.	सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति		निर्धारित नहीं	वासुदेव देवनानी

* प्राक्कलन समिति की 1.9.1981 को दो प्राक्कलन समितियाँ 'क' एवं 'ख' बनाई गई।

वर्ष 1974 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के नाम से थी।

5 संसद में राजस्थान

- प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 के समय राजस्थान में लोकसभा की 22 **सीटें** थी तथा छठे लोकसभा चुनाव (1977) में लोकसभा सदस्यों की **सीटें बढ़ाकर** 25 **कर दी गई।**
- 1952 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में 9 **सीटें** थी। 1960 में राज्यसभा सीटों की **संख्या बढ़ाकर** 10 **कर दी गई,** जो वर्तमान तक है।
- राजस्थान में वर्तमान लोकसभा की सीटें 25 हैं, जिसमें 4 **अनुसूचित जाति** और 3 **अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित है।
- राजस्थान राज्य से **25 लोकसभा सीटों** पर चुनाव करवाया जाता है, जिनमें से कुछ सीटों पर एक से अधिक जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है।
- संसद के दोनों सदनों में कुल **35 सदस्य/सांसद** (25+10) राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति– नाथूराम मिर्धा (6बार, नागौर, 1971 से 1997 तक)
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– बलराम जाखड़ (सीकर से सांसद)

☞ ध्यान रहे– बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका कार्यकाल लगभग 9 वर्ष 329 दिन का रहा। लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान ये पहली बार **पंजाब** (फिरोजपुर) से तथा दूसरी बार राजस्थान **(सीकर)** से लोकसभा सांसद थे।

- राजस्थान से दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– ओम बिड़ला (कोटा–बूँदी से सांसद)
- ओम बिड़ला लगातार **दूसरी बार** लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये 18 वीं लोकसभा में 26 जून 2024 को ध्वनिमत से कांग्रेस के **के. सुरेश** को पराजित कर लोकसभा अध्यक्ष बने हैं।
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल होने वाले प्रथम लोकसभा सदस्य– कालूलाल श्रीमाली **(कैबिनेट मंत्री)**
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी **शारदा बाई** और **रानी देवी** ने चुनाव लड़ा, लेकिन विजयी नहीं हो पाई।
- राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद– महारानी गायत्री देवी
- राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– सुशीला बंगारू (जालौर)
- राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– उषा देवी मीणा
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल होने वाली प्रथम महिला सांसद– डॉ. गिरिजा व्यास (सूचना एवं प्रसारण उपमंत्री, उदयपुर से सांसद)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला– वसुंधरा राजे (5 बार)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति– रामनिवास मिर्धा (4 **बार**), **जसवंत सिंह** (4 **बार**)
- राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद– शारदा भार्गव
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला– शारदा भार्गव
- राजस्थान से वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 4 सांसद शामिल हैं–

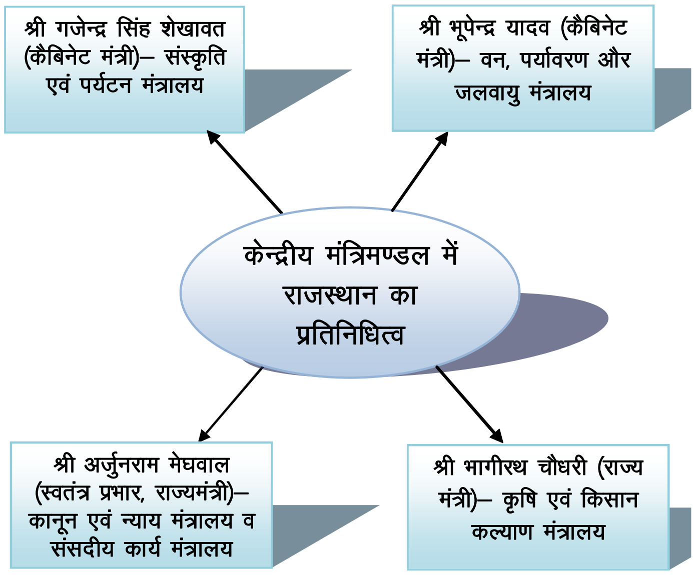

☞ **नोट**– श्री अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के **जीवनंद कलां गाँव** के निवासी थे, लेकिन बाद में इनका परिवार जोधपुर में रहने लगा और वर्तमान में ये **उड़ीसा** से **राज्यसभा सांसद** हैं तथा वर्तमान में इनके पास केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।

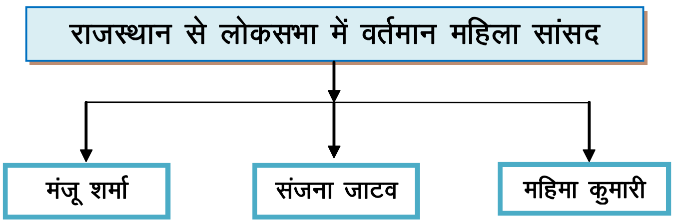

6 उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

उच्च न्यायालय

- भारतीय संविधान के भाग–6 तथा अध्याय–5 में **अनुच्छेद 214 से 231 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है।
- भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई।
- 1866 ई. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद–215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद–216	उच्च न्यायालयों का गठन।
अनुच्छेद–217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें।
अनुच्छेद–218	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।
अनुच्छेद–219	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद–220	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि–व्यवसाय पर निबंधन।
अनुच्छेद–221	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन।
अनुच्छेद–222	न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण।
अनुच्छेद–223	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
अनुच्छेद–224	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–224(क)	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–225	उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।
अनुच्छेद–226	कुछ याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद–227	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद–228	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों को अंतरण।
अनुच्छेद–229	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।
अनुच्छेद–230	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।
अनुच्छेद–231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

✦ अनुच्छेद 214– प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा

✦ अनुच्छेद 231– **दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।**

✦ अनुच्छेद 231(1)– संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

✦ अनुच्छेद 231 के अनुसार भारत में साझा उच्च न्यायालय वाले राज्य व उनका उच्च न्यायालय क्षेत्र–
1. मुम्बई उच्च न्यायालय– **महाराष्ट्र व गोवा।**
2. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय– चंडीगढ़
3. गुवाहाटी उच्च न्यायालय– **असम,** नागालैण्ड, **मिजोरम व अरूणाचल प्रदेश।**

✦ अनुच्छेद 215– उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

- प्रत्येक उच्च न्यायालय **अभिलेख न्यायालय** है और उसको न्यायालय की अवमानना पर **साधारण कारावास** या **आर्थिक दण्ड देने की शक्ति प्राप्त** है।

✦ अनुच्छेद 216– उच्च न्यायालय का गठन

- प्रत्येक उच्च न्यायालय **मुख्य न्यायमूर्ति** और ऐसे **अन्य न्यायाधीशों** से मिलकर बनेगा जिन्हें **राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त** करना आवश्यक समझें।

☞ नोट– उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या **संविधान में निश्चित नहीं** की गई है। अतः **राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों** की संख्या समय–समय पर **निर्धारित** की जाती है।

✦ अनुच्छेद 217– न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें

✦ अनुच्छेद 217(1)– उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित **अधिपत्र** द्वारा की जायेगी और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक **वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर** लेता है।

किए जाते हैं। इनके वेतन एवं भत्ते केवल **वित्तीय आपातकाल** के दौरान ही कम किए जा सकते हैं।

4. इनके वेतन एवं भत्ते **राज्य की संचित निधि** पर भारित हैं, लेकिन **पेंशन भारत की संचित निधि** पर भारित है।
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर **संसद** तथा **राज्य विधानमण्डल** में चर्चा नहीं की जा सकती, **केवल महाभियोग** प्रक्रिया को छोड़कर।
6. उच्च न्यायालय का **मुख्य न्यायाधीश** अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना करता है।
7. उच्च न्यायालय का **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या बहस नहीं कर सकता।

❖ राजस्थान का उच्च न्यायालय

- राजस्थान के एकीकरण के दौरान **राज्य की राजधानी** और उच्च न्यायालय की सीट निर्धारण के मुद्दे को हल करने के लिए **बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में** एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कर्नल टी.सी. पुरी एवं **एस.पी. सिन्हा** भी शामिल थे।
- इस समिति ने **27 मार्च, 1949 को** अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नए **राज्य की राजधानी जयपुर** तथा **उच्च न्यायालय जोधपुर** में स्थापित करने की सिफारिश की गई।
- राजस्थान के **राजप्रमुख** (महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय) ने 25 अगस्त, 1949 को एक अधिसूचना जारी कर 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान के जोधपुर में **उच्च न्यायालय** स्थापित करने का आदेश जारी किया।

✦ उद्घाटन– जोधपुर में **29 अगस्त, 1949** को राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह की अध्यक्षता में एक भव्य समारोह में माननीय **न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा** व **11 अन्य न्यायाधीशों** को शपथ दिलाई गई।

- कमलकान्त वर्मा **इलाहाबाद** व **उदयपुर उच्च न्यायालय** के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने राजस्थान के **प्रथम मुख्य न्यायाधीश** के रूप में पद ग्रहण किया।

➢ **11 अन्य** न्यायाधीश निम्न प्रकार थे–

1. **न्यायमूर्ति नवल किशोर**– जोधपुर
2. **न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह**– जोधपुर
3. **न्यायमूर्ति कँवरलाल बाफना**– जयपुर
4. **न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहीम**– जयपुर
5. **न्यायमूर्ति जवानसिंह राणावत**– उदयपुर
6. **न्यायमूर्ति शार्दुलसिंह मेहता**– उदयपुर
7. **न्यायमूर्ति दुर्गाशंकर दवे**– बूँदी
8. **न्यायमूर्ति त्रिलोकचन्द दत्त**– बीकानेर
9. **न्यायमूर्ति आनन्द नारायण कौल**– अलवर
10. **न्यायमूर्ति के.के. शर्मा**– भरतपुर
11. **न्यायमूर्ति क्षेमचन्द गुप्ता**– कोटा

- **26 जनवरी, 1950** को संविधान लागू होने पर राजस्थान 'बी' श्रेणी का राज्य बन गया। **'बी' श्रेणी** वाले राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि न्यायाधीशों की योग्यता का निर्धारण भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा सहित कुछ अन्य न्यायाधीशों को पद त्याग करना पड़ा।
- **01 अक्टूबर, 1952** को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम–1952 प्रभावी हुए।
- 11 जुलाई, 1957 को गठित पी. सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की, कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ **जोधपुर** में रहे, लेकिन खंड पीठ जयपुर को समाप्त कर दिया जाए। अतः **1958** को उच्च न्यायालय की खंड पीठ, जयपुर को समाप्त कर दिया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा–51 के अनुसार **राष्ट्रपति** ने राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश, 1976 जारी किया, जिसके तहत् **08 दिसम्बर, 1976** को **पुनः जयपुर** पीठ की स्थापना की गई तथा पीठ ने अपना विधिवत कार्य 31 जनवरी, 1977 को शुरू किया।
- वर्तमान राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय है। जोधपुर में 2 व जयपुर में 3 जिला न्यायालय है।

➢ राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में **5 सम्भाग** आते हैं–
1. **जयपुर**, 2. **भरतपुर**, 3. **कोटा**, 4. **अजमेर** 5. **सीकर**

➢ राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की **जोधपुर स्थाई पीठ** के क्षेत्राधिकार में **5 सम्भाग** आते हैं–
1. **जोधपुर**, 2. **बीकानेर**, 3. **उदयपुर** 4. **पाली** 5. **बांसवाड़ा**

- उच्च न्यायालय की **मुख्य पीठ** (जोधपुर) के क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते है।
(जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपोलिटन, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा)
- उच्च न्यायालय की **खण्ड पीठ** (जयपुर) के क्षेत्राधिकार में 17 न्यायालय आते है।
(जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो I, जयपुर मेट्रो II, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़)
- **नागौर** एक ऐसा जिला हैं, जिसका जिला न्यायालय का मुख्यालय, जिले पर न होकर **तहसील स्तर पर** है, जो **मेड़ता** में स्थित है।

- राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य– **सत्यस्य जयोस्तु**

❖ महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है।
- भारत में **सबसे पुराना** उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1862 को हुई थी।
- **दिल्ली** ऐसा संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
- जम्मू–कश्मीर व लद्दाख दोनों संघ राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय है।
- भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय– आन्ध्रप्रदेश (अमरावती)
- भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश– अन्ना चांडी (केरल उच्च न्यायालय)।
- भारत में उच्च न्यायालय की **प्रथम महिला** मुख्य न्यायाधीश – लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)।

❖ अधीनस्थ न्यायालय

- संविधान के भाग–6 व अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–233 (क)	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण।
अनुच्छेद–234	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती।
अनुच्छेद–235	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
अनुच्छेद–236	निर्वचन।
अनुच्छेद–237	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना।

- अधीनस्थ न्यायालय **जिला स्तर पर** सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसे **'जिला न्यायालय'** भी कहा जाता है।
- जिला न्यायालय को सामान्यत: **2 भागों में** बाँटा जा सकता है–
  1. दीवानी न्यायालय (Civil Court)
  2. आपराधिक/फौजदारी न्यायालय (Criminal Court)
- जिले में एक **राजस्व न्यायालय** भी होता है। वह भू–राजस्व संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
- जिला न्यायालय का प्रधान **जिला न्यायाधीश** होता है, जिसे **जिला एवं सत्र न्यायाधीश** भी कहा जाता है।
- अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है।

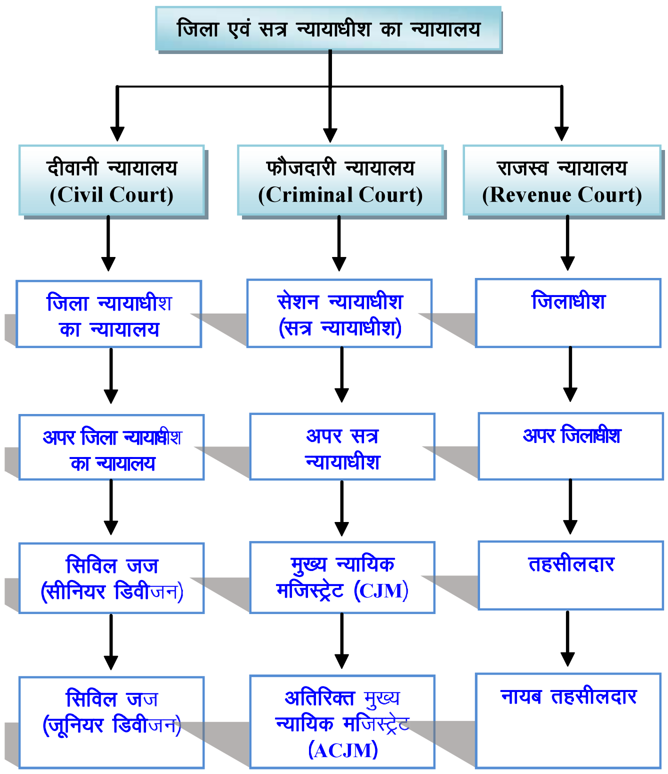

❖ जिला न्यायालय

✦ अनुच्छेद 233– जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

✦ **अनुच्छेद 233(1)**– किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

✦ **अनुच्छेद 233(2)**– वह व्यक्ति, जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह **कम से कम 7 वर्ष तक** अधिवक्ता या वकील रहा है और उसकी नियुक्ति की **सिफारिश** उच्च न्यायालय ने की है।

✦ अनुच्छेद 234– न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति

- जिला न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की किसी **राज्य की न्यायिक सेवा** में नियुक्ति उस **राज्य के राज्यपाल द्वारा**, राज्य लोक सेवा आयोग व **उच्च न्यायालय** से परामर्श करने के पश्चात् की जायेगी।

✦ अनुच्छेद 235– अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

- **जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों** पर नियंत्रण का अधिकार **उच्च न्यायालय** में निहित है। अत: जिला

7 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव

मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव का पद 1799 में तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सृजित है तथा **जी.एस. बार्लो** (जॉर्ज हिलेरी बार्लो) को ब्रिटिश भारत का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया।
- प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर **वर्ष 1973** में इस पद का मानकीकरण किया गया।
- 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव **के. राधाकृष्णन** बने। ये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे।
- नवम्बर 1956 के संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई। अतः मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाने लगी। वर्ष 1958 में राज्य सरकार द्वारा भगत्त सिंह मेहता को **प्रथम मुख्य सचिव** नियुक्त किया गया।
- मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुखिया या कार्यकारी प्रमुख होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के **शीर्ष पद** पर होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है तथा इसका नियंत्रण सचिवालय के सभी विभागों पर होता है।
- मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- यह सचिवों का मुखिया होता है।
- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होता है।
- मुख्य सचिव को **अवशिष्ट वसीयतदार** कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किये जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किये जाते हैं।
- राज्य की **नौकरशाही व्यवस्था का प्रमुख मुख्य सचिव** होता है।
- मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाला **शिल्पी** मुख्य सचिव होता है।
- वर्ष 1973 से मुख्य सचिव को सभी राज्यों में **वरिष्ठतम लोकसेवक** माना जाता है।

- एस.आर. माहेश्वरी के अनुसार मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का 'किंग पिन' (धूरी) कहते हैं।
- मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन का 'किंग पिन' होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण, समन्वय तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मुख्य सचिव के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख 'सरकारी कार्य नियमावली' (रूल्स ऑफ बिजनेस) में दिए गए हैं।

❖ मुख्य सचिव का चयन

- मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। जिसके निम्न आधार है–
- **भारतीय प्रशासनिक सेवा** (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी।

☞ **नोट–** भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता क्रम को प्रथम बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया।

- प्रशासनिक पद पर कार्य का अनुभव।
- मुख्यमंत्री का **विश्वासपात्र अधिकारी**।
- आकर्षक व्यक्तित्व।

☞ **नोट–** मुख्य सचिव का कार्यकाल **मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यन्त** पर निर्भर करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। (सामान्यतः 60 वर्ष तक)

➢ पद से हटाना

- मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

❐ मुख्य सचिव के कार्य व भूमिका

1. मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में

- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** तथा मुख्यमंत्री का **परामर्श दाता** होता है।
- मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य सचिव, राज्य के मंत्रियों के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक बाधाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है।

2. मंत्रिपरिषद् के सचिव के रूप में

- मुख्य सचिव, राज्य मंत्रिपरिषद् का पदेन सचिव होता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- मंत्रिमण्डल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है।
- मुख्य सचिव, कैबिनेट और इसकी **उप–समितियों** की बैठकों में भाग लेता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है।

8 संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था

❖ संभागीय व्यवस्था

- संभाग ऐसी प्रशासनिक ईकाई है जो कई जिलों का प्रशासन संभालने के साथ–साथ उन जिलों व राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 5 संभागों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा) के साथ 30 मार्च, 1949 को एकीकरण के **चौथे चरण** में मुख्यमंत्री **हीरालाल शास्त्री** के समय हुई थी।

> ☞ **नोटः–** 1 नवम्बर, 1956 को अजमेर 6वाँ संभाग (जयपुर के स्थान पर) बना, लेकिन संभागों की संख्या 5 ही रही। 4 जून, 2005 को भरतपुर सातवाँ संभाग बना।

- 24 अप्रैल, 1962 को मुख्यमंत्री **मोहनलाल सुखाड़िया** के समय **संभागीय व्यवस्था** को बंद कर दिया गया।
- 26 जनवरी, 1987 को मुख्यमंत्री **हरिदेव जोशी** के समय 6 संभागों के साथ संभागीय व्यवस्था की **पुनः शुरूआत** हुई।

✦ संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner)

- बंगाल के गर्वनर जनरल **लार्ड विलियम बैंटिक** द्वारा जिला कलेक्टरों पर निगरानी हेतु 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया।
- संभागीय आयुक्त संभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- संभागीय आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा इनका **कार्यकाल निश्चित नहीं** होता है।
- ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) का अधिकारी होता है।
- संभागीय आयुक्त की सहायता के लिए **एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नियुक्त** किया जाता है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।
- यह **जिला कलेक्टर** व **मुख्य सचिव** के मध्य कड़ी का कार्य करता है।

✦ संभागीय आयुक्त के कार्य

- भू–राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना।
- संभाग में संचालित योजनाओं को लागू करवाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण करना।
- अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में तालमेल बिठाना।
- संभाग स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निगरानी व जाँच आदि करना।
- जिला प्रशासन पर नियंत्रण करना।

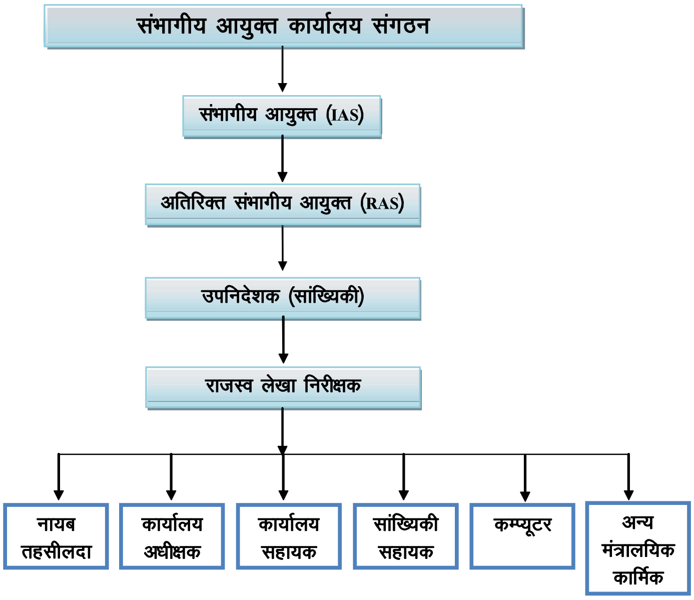

❖ जिला प्रशासन

- प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए इसे देश, प्रांत, जिला, तहसील, पंचायत समिति, **ग्राम पंचायत** एवं वार्ड में विभाजित किया गया है।
- District शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Districtus से मानी जाती है। जिसका अर्थ है 'न्यायिक प्रशासन'
- गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में **पहली बार** 1772 ई. में **कलेक्टर** का पद सृजित हुआ। जिसे 1773 में समाप्त कर दिया गया तथा 1781 में पुनः सृजित किया गया।
- वर्ष 1787 में जिला कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के साथ दण्डनायक (मजिस्ट्रेट) की शक्तियाँ दी गई।
- अनुच्छेद 233 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग **जिला न्यायाधीशों** की नियुक्ति के संदर्भ में किया गया है।

✦ जिला प्रशासनिक इकाई के प्राचीन रूप –

- जिले के लिए **वैदिक काल** में विश शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विशपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए **मौर्यकाल** में जनपद शब्द तथा इसके प्रमुख को **'राजुका'** कहा गया है।
- जिले के लिए **गुप्तकाल** में विषय शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विषयपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए खिज्र खाँ सैयद के काल में शिक शब्द मिलता है।
- जिले के लिए शेरशाह सूरी के काल में **सरकार** शब्द तथा इसका प्रमुख **'शिकदार–ए–शिकदारान'** कहलाता था।

9 पंचायती राज

❖ स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को **स्थानीय स्वायत्त शासन** कहते हैं जिसके **दो स्तर** है–

स्थानीय स्वायत्त स्वशासन

- **ग्रामीण स्थानीय स्वशासन**
  - जिला परिषद्
  - पंचायत समिति
  - ग्राम पंचायत
- **नगरीय स्थानीय स्वशासन**
  - नगर निगम
  - नगर परिषद्
  - नगर पालिका

- स्थानीय स्वशासन **लोकतंत्र की रीढ** होता है, जिसमें स्थानीय **जनता** की बुनियादी समस्याओं का समाधान उन्हीं के द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है।
- भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीनकाल से चला आ रहा है। **सिन्धु घाटी सभ्यता** में शहरी निकायों तथा वैदिक सभ्यता में ग्रामीण स्वशासन के प्रमाण मिले हैं।
- **वैदिक काल** (अथर्ववेद) में पंचायत का मुखिया– **ग्रामणी**
- **बौद्धकाल** में ग्राम का मुखिया– **ग्रामयोजक**
- **मौर्यकाल** में ग्राम सभा का मुखिया– **ग्रामीक**
- **मुगलकाल** में ग्राम का मुखिया– **मुकद्दम**
- **मुगलकाल** में नगर प्रमुख– **कोतवाल**
- **ग्राम पंचायत** व्यवस्था का व्यवस्थित रूप **चोल साम्राज्य** में मिलता है। जिसमें पंचायत को **'ऊर'** कहा गया है।
- इसी प्रकार **रामायण** एवं **महाभारत** काल में **स्थानीय प्रशासन** **'पुर'** एवं **'जनपद'** नामक दो स्तरों पर विभाजित था।
- वर्तमान में पंचायत का मुखिया– **सरपंच**
- स्थानीय स्वशासन के लिए प्रथम प्रयास **लॉर्ड मेयो** ने **1870** में किया।
- 1882 को **लॉर्ड रिपन** ने **स्थानीय स्वशासन** का प्रस्ताव पारित करवाया। रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का **'मेग्नाकार्टा'** भी कहा जाता है। रिपन को **भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक** कहते है। लॉर्ड रिपन को भारतीय जनता के प्रति उदारता के कारण **"भारत मित्र"** भी कहा जाता है।
- **वर्ष 1882** के बाद अस्तित्व में आये हुए स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय को **'मुकामी बोर्ड'** **(Local Board)** भी कहा जाता था।
- वर्ष 1907 में विकेन्द्रीयकरण आयोग की रिपोर्ट में **स्थानीय स्वशासन** की सिफारिश की गई थी।
- 1919 के मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को **प्रांतीय विषय** बनाया गया था।
- **1935 के अधिनियम** द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया **राज्य सूची का विषय** बना दिया। जो वर्तमान में भी **राज्य सूची** का विषय है।
- आजादी से पूर्व राजस्थान में **सर्वप्रथम 1928** को **बीकानेर** रियासत में **ग्राम पंचायत** अधिनियम बनाया गया।
- उसके बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर व करौली में पंचायत अधिनियम बनाये गये।
- भारतीय संविधान के **भाग–4** (राज्य के नीति–निदेशक तत्त्व) के **अनुच्छेद–40** में **ग्राम पंचायतों के संगठन** से संबंधित प्रावधान है।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें **स्वायत्त शासन** की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।
- सम्पूर्ण पंचायतीराज **महात्मा गांधी** को समर्पित है। यह उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देता है। जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक **'My Picture of Free India'** में किया गया।
- महात्मा गाँधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। यदि गाँव जीवित रहे तो भारत भी जीवित रहेगा और गाँव नष्ट हो गये तो भारत भी नष्ट हो जायेगा।
- वर्ष **1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम** तथा **1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का** प्रारम्भ किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाये।

✦ अनुच्छेद–243 ढ़(N)– विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

- **73वें संविधान संशोधन 1992** के लागू होने से पूर्व की पंचायतों से संबंधित विधियाँ तब तक के लिए बनी रहेगी, जब तक **राज्य विधानमण्डल द्वारा संशोधित** या **निरसित नहीं** कर दी जाती है।

✦ अनुच्छेद–243 ण(O)– निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

- **अनुच्छेद 243ट(K)** के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई विधि को **न्यायालय में प्रश्नगत** (चुनौती) नहीं किया जायेगा।

❖ राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

- राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष **1953 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम बनाया** गया, जो **01 जनवरी, 1954** को लागू हुआ।
- वर्ष 1994 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1953 को संशोधित कर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 बनाया गया।
- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा **23 अप्रैल, 1994** को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 को स्वीकृति प्रदान की गई।

✦ वार्ड सभा

- मूल अधिनियम में **वार्ड सभा का प्रावधान नहीं** था। **वर्ष 2000** में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 को संशोधित कर **'वार्ड सभा'** की स्थापना की गई।
- **06 जनवरी, 2000** को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–2000 प्रभावी हुआ।
- इस वार्ड सभा का **मुख्य उद्देश्य** वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्ड के निवासियों का **एक साथ बैठकर पंचायत से रूबरू** होना।
- वार्ड सभा का प्रावधान अधिनियम के **अध्याय 2** में है।

➢ **धारा–3(1)– वार्ड सभा**

- वार्ड सभा के सदस्य उस वार्ड में निवास करने वाले **सभी वयस्क व्यक्ति** होंगे तथा प्रत्येक वार्ड में **एक वार्ड सभा** होगी।

➢ **धारा–3(2)– वार्ड सभा की बैठकें**

- वार्ड सभा की वर्ष में कम–से–कम **2 बैठकें** होंगी, लेकिन **वार्ड सभा के कुल सदस्यों के 1/10** सदस्यों द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर अथवा पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर ऐसी अपेक्षा के **15 दिन** के भीतर वार्ड सभा की **बैठक बुलाई** जा सकेगी।

➢ **धारा–4– गणपूर्ति**

- वार्ड सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए वार्ड सभा के कुल सदस्यों के **1/10 सदस्यों की उपस्थिति** आवश्यक होगी।

➢ **धारा–5– बैठक की अध्यक्षता**

- वार्ड सभा के बैठक की **अध्यक्षता उस वार्ड के पंच** द्वारा की जायेगी। वार्ड पंच की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की **अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा** की जायेगी। जिसे उस बैठक में **उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित** किया जाये।
- **धारा–6** के अनुसार इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी **संकल्प** बैठक में **उपस्थित** और **मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित** किया जायेगा।
- **धारा–7** में वार्ड सभा के **कृत्य** (कार्यों) का प्रावधान है।

✦ ग्राम सभा

- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 में **ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान** है।
- अधिनियम के **अध्याय–2(क)** की धारा–8 में ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किया गया है।
- **धारा–8(क)** में **ग्राम सभा** और उसकी **बैठकों** का प्रावधान है।

➢ **(1)**– प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए **एक ग्राम सभा** होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँव या गाँवों के समूह से संबंधित **निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत मतदाता** होंगे।

➢ **(2)**– प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम **दो बैठकें** बुलाई जायेगी। पहली बैठक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में तथा दूसरी अंतिम त्रिमास में।

- लेकिन ग्राम सभा के कुल सदस्यों के **1/10 सदस्यों** द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर अथवा पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर ऐसी अपेक्षा के **15 दिन** के भीतर **वार्ड सभा की बैठक बुलाई** जा सकेगी।

➢ **(3)**– ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत समिति का **विकास अधिकारी** या **उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट** व्यक्ति भाग लेगा। पंचायत के **सचिव** (VDO) द्वारा ग्राम सभा की **कार्यवाहियों को लेखबद्ध** किया जायेगा।

- **धारा–8(ख)** के अनुसार ग्राम सभा की **बैठकों की गणपूर्ति** के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के **1/10 सदस्यों की उपस्थिति** आवश्यक है।
- **धारा–8(ग)** के अनुसार ग्राम सभा की **बैठकों की अध्यक्षता सरपंच** द्वारा की जायेगी। सरपंच की अनुपस्थिति में अध्यक्षता **उपसरपंच** द्वारा की जायेगी तथा दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जिसे ग्राम सभा में **उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से निर्वाचित** किया जाये।

- ग्राम सभा वर्ष की प्रत्येक **तिमाही में कम से कम एक बैठक** आयोजित करेगी।
- सामान्यतः 1 वर्ष में 4 बैठक होती है (26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर)।

☞ **नोट–** बैठक के लिए समय, **तारीख** व **स्थान** का निर्धारण सरपंच करता है व उसकी **अनुपस्थिति** में उपसरपंच करता है।

☞ **नोट–** बैठक की सूचना आकस्मिक परिस्थितियों में **3 दिन पूर्व** तथा सामान्य परिस्थितियों में **7 दिन पूर्व** दी जाती है।

✦ **ग्राम सभा की विशेष बैठक–**

1. ग्राम सभा की नियमित बैठकों के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी **विशेष बैठक बुलाई** जा सकेगी–

(i) यदि ग्राम सभा की **साधारण बैठक** में इस प्रकार विनिश्चित किया गया है।

(ii) यदि पंचायत के पास कोई प्रस्ताव है जिस पर **ग्राम सभा द्वारा** विचार किया जाना आवश्यक है।

(iii) ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम **5% या 25 सदस्यों**, इनमें से **जो भी अधिक** हो, द्वारा सचिव को लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर।

	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
स्तर	ग्राम (निम्न) स्तर पर	खण्ड (मध्य) स्तर पर	जिला (शीर्ष) स्तर पर
कुल संख्या	11,307	352	33
राजनैतिक प्रमुख	सरपंच	प्रधान	जिला प्रमुख
प्रशासनिक प्रमुख	ग्राम विकास अधिकारी (V.D.O)	खण्ड विकास अधिकारी (B.D.O.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.)
न्यूनतम आयु	21 वर्ष	21 वर्ष	21 वर्ष
सदस्यों का चुनाव	वार्ड पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन	पंचायत समिति सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन	जिला परिषद् सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव	उपसरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन	प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन	उपजिला प्रमुख व जिला प्रमुख का निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन
शपथ	वार्ड पंच, उपसरपंच व सरपंच को पीठासीन अधिकारी दिलाता है।	पंचायत समिति सदस्यों को पीठासीन अधिकारी दिलाता है। उपप्रधान व प्रधान को उपखण्ड अधिकारी दिलाता है।	जिला परिषद् सदस्यों पीठासीन अधिकारी (जिला कलेक्टर) दिलाता है। उपजिला प्रमुख व जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर दिलाता है।
त्यागपत्र	वार्ड पंच, उपसरपंच व सरपंच त्यागपत्र खण्ड विकास अधिकारी को देते हैं।	पंचायत समिति सदस्य व उपप्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं। प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है।	जिला परिषद् सदस्य व उपजिला प्रमुख त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है।
बैठकें	15 दिन में कम से कम 1 बार	1 माह में कम से कम 1 बार	3 माह में कम से कम 1 बार
निर्वाचित सदस्य संख्या	न्यूनतम पंच संख्या– 5 (3 हजार की आबादी तक) 3 हजार से अधिक आबादी होने पर प्रति 1000 पर 2 अतिरिक्त पंच होंगे। जैसे– 4000 आबादी पर 7 पंच व 5000 आबादी पर 9 पंच होंगे।	न्यूनतम सदस्य 15 (1 लाख की आबादी तक) 1 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रति 15 हजार 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे।	न्यूनतम सदस्य 17 (4 लाख की आबादी तक) 4 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य
पदेन सदस्य	ग्राम विकास अधिकारी, उस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, उस पंचायत समिति क्षेत्र के विधायक, सांसद तथा जिला परिषद् सदस्य उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उस क्षेत्र के विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस जिले के समस्त सांसद (लोकसभा, राज्यसभा सदस्य) समस्त विधायक (विधानसभा, विधान परिषद् के सदस्य) उस जिले के समस्त प्रधान, सांसद द्वारा मनोनीत सदस्य, जिला कलेक्टर

10 नगरीय स्वशासन

- भारत में **शहरी स्वशासन** का रूप नगरीय शासन के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत में पहला नगर निगम– मद्रास (1687)
- राजस्थान में प्रथम नगर पालिका– माउंट आबू (1864)
- इसके बाद 1866 में **अजमेर**, 1867 में **ब्यावर** तथा 1869 में **जयपुर** में नगरपालिकाओं की स्थापना हुई।
- एकीकरण के समय राजस्थान में 7 **जिला बोर्ड**, एक नगर निगम (उदयपुर) तथा 136 **नगरपालिकायें** कार्यरत थी।
- राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना– 1950
- राजस्थान में स्थानीय निकाय निदेशालय का मुख्यालय– जयपुर
- वर्तमान में नगरीय स्वशासन **राज्य सूची** का विषय है। (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत)

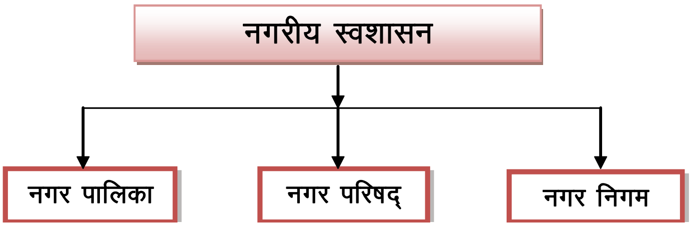

➢ भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय स्वशासन है–
1. **नगर निगम**
2. नगर परिषद्/पालिका
3. अधिसूचित क्षेत्र समिति
4. **नगरीय क्षेत्र समिति**
5. छावनी मण्डल–
6. टाउनशिप
7. बन्दरगाह न्यास (पोर्ट ट्रस्ट)
8. विशेष या एकल उद्देश्यीय अभिकरण।

- वर्ष 1989 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा **65वें संविधान संशोधन** के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह संशोधन **राज्यसभा** से पारित नहीं हो पाया था।
- नगरीय इकाइयों को **74वें संविधान संशोधन**, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय दिया गया तथा यह अधिनियम 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ।
- 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में लागू–9 अगस्त, 1994
- 74वें संविधान संशोधन–1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग–9(क) जोड़ा गया, जिसमें **अनुच्छेद–243 (P)** से 243 **(ZG)** तक (कुल 18 अनुच्छेद) तथा **अनुसूची–12** (18 विषय) जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–243 (त) P	परिभाषाएँ–समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, नगरपालिका पंचायत, जनसंख्या आदि
अनुच्छेद–243 (थ) Q	नगरपालिका का गठन
अनुच्छेद–243 (द) R	नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद–243 (ध) S	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद–243 (न) T	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद–243 (प) U	नगरपालिकाओं की अवधि
अनुच्छेद–243 (फ) V	सदस्यता के लिए निर्हताएँ
अनुच्छेद–243 (ब) W	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद–243 (भ) X	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद–243 (म) Y	वित्त आयोग
अनुच्छेद–243 (य) Z	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा (अंकेक्षण)
अनुच्छेद–243 (य क) ZA	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद–243 (य ख) ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद–243 (य ग) ZC	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद–243 (य घ) ZD	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य ङ) ZE	महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य च) ZF	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद–243 (य छ) ZG	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

✦ अनुच्छेद–243त(P)– परिभाषाएँ

- इस अनुच्छेद में समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, जनसंख्या आदि की परिभाषाएँ उल्लेखित हैं।
- **महानगर क्षेत्र**– इसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं और जो दो या दो से अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे **राज्यपाल** इस भाग के प्रयोजनों के लिए, **लोक अधिसूचना द्वारा**, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

➢ प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. **वार्ड समिति** के प्रादेशिक क्षेत्रों के **भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व** करने वाला नगर पालिका का सदस्य।
2. **5 से कम** ऐसे अन्य सदस्य, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों, **नगर पालिका द्वारा** नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

- किसी वार्ड समिति में **एक ही वार्ड** है, उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।
- जिस वार्ड समिति में **2 या 2 से अधिक वार्ड** शामिल हों उस समिति के अध्यक्ष का **निर्वाचन वार्डों के** प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से किया जायेगा।

✦ **समितियाँ– (धारा–55)**

- प्रत्येक नगर पालिका में **कार्यपालक समिति** होगी, जो निम्नलिखित से गठित होगी।
  1. नगर पालिका अध्यक्ष
  2. **उपाध्यक्ष**
  3. **विपक्ष का नेता**
  4. नगर निगम या नगर परिषद् के द्वारा निर्वाचित **7 सदस्य**, जिनमें **2 महिला सदस्य** होंगी।
  5. नगर पालिका द्वारा **निर्वाचित 5 से कम** ऐसी सदस्य संख्या जो नगर पालिका द्वारा निर्धारित की जाये।
- नगर पालिका का **मुख्य नगर पालिका अधिकारी** कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा।
- कार्यपालक समिति के अलावा, प्रत्येक नगर पालिका में **अधिकतम 10 सदस्यों** से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियाँ होंगी–
  1. **वित्त समिति**
  2. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति
  3. **भवन एवं निर्माण कार्य समिति**
  4. नियम एवं उपविधि समिति
  5. **महिला एवं बाल विकास समिति**
  6. गन्दी बस्ती सुधार समिति

✦ **समिति का अध्यक्ष– (धारा–57)**

- नगर पालिका का **अध्यक्ष** यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- नगर पालिका का **उपाध्यक्ष** यदि किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया हो, जिसका **सदस्य अध्यक्ष नहीं है,** तो वह उस समिति का **पदेन अध्यक्ष** होगा।
- नगर पालिका किसी सदस्य को **किसी भी समिति के अध्यक्ष** के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसका **कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है।**

✦ **राज्य वित्त आयोग– (धारा–76)**

- राज्य वित्त आयोग **नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।
- **राज्य वित्त आयोग** राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे **करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** के ऐसे शुद्ध आगमों के, जो राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजित किए जाएं, उनके बीच वितरण और आवंटन की सिफारिशें करेगा।
- आयोग, ऐसे **करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** की अवधारणा को जो नगर पालिकाओं को सौंपी जा सकेगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी, सिफारिशें करेगा।
- आयोग राज्य की **संचित निधि** में से नगर पालिकाओं के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में सिफारिश करेगा।
- आयोग नगर पालिकाओं की **वित्तीय** स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिशें करेगा।
- आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश राज्य विधानमण्डल **के समक्ष** रखी जायेगी।

➢ धारा–79 में **'नगर पालिका निधि'** का प्रावधान किया गया है।

➢ धारा–87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका **अधिकारी** प्रत्येक वर्ष नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करता है।

➢ धारा–100 के अनुसार नगर पालिका प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट **राज्य सरकार** को प्रस्तुत करती है।

➢ राज्य विधानमण्डल **अनुसूचित क्षेत्रों** की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर, प्रशासनिक प्रबन्धन की संरचना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के प्रतिमानों के अनुमान का प्रयत्न किया।

❖ **महत्त्वपूर्ण तथ्य**

➢ राजस्थान में **17 दिसम्बर, 1992** को जयपुर व जोधपुर में नगर निगमों की स्थापना की गई। इसके बाद **23 जनवरी, 1993** को कोटा नगर परिषद् को ही नगर निगम बना दिया गया।

➢ वर्तमान में राजस्थान में **11 नगर निगम** हैं–

1. **अजमेर नगर निगम**
2. बीकानेर नगर निगम
3. **जयपुर नगर निगम**
4. **जयपुर नगर निगम धरोहर**
5. जोधपुर नगर निगम उत्तर
6. जोधपुर नगर निगम दक्षिण
7. **कोटा नगर निगम उत्तर**
8. कोटा नगर निगम दक्षिण
9. उदयपुर नगर निगम
10. **भरतपुर नगर निगम**
11. **अलवर नगर निगम**

☞ **नोट–** अक्टूबर 2019 से जयपुर, जोधपुर और कोटा में **2–2 नगर निगम** है।

11 प्रमुख आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग

- भारत में **सर्वप्रथम** 1919 के शासन अधिनियम द्वारा सन् 1926 में लोक सेवा आयोग (मेरिट पद्धति का वॉच डॉग) की स्थापना हुई।
- वर्ष 1923 में 'ली आयोग' ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन इस आयोग ने प्रान्तों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया था।
- राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रान्तों में से केवल 3 **प्रान्तों** (जयपुर, जोधपुर व बीकानेर) में लोक सेवा आयोग गठित थे।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम** लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर (1939) में किया गया। इसके पश्चात् जयपुर (1940) व बीकानेर (1946) लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई।
- रियासतों के विलय के बाद **16 अगस्त, 1949** को राजस्थान के राजप्रमुख (सवाई मानसिंह द्वितीय) द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 28वाँ अध्यादेश (Ordinance) जारी किया गया, जिसका राजपत्र में प्रकाशन **20 अगस्त, 1949** को हुआ।
- 16 अगस्त, 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोकसेवा आयोग समाप्त कर दिये गये।
- अध्यादेश की धारा–1 के अनुसार उक्त आदेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आयेगा, जिस तिथि को नियुक्ति हेतु अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होगा।
- **22 दिसम्बर, 1949** को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग की धारा–1(3) के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा **22 दिसम्बर, 1949** को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- **22 दिसम्बर, 2023** को राजस्थान लोक सेवा आयोग का 75वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना **22 दिसम्बर, 1949** जारी को होने के बाद यह आयोग विधिवत्त रूप से अस्तित्व में आया।
- आयोग के प्रारम्भ के समय **एक अध्यक्ष** एवं **दो सदस्य** थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर रखा गया था, लेकिन बाद में **पी. सत्यनारायण राव कमेटी** की सिफारिश पर 01 नवम्बर, 1956 को आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।
- आयोग एक **संवैधानिक संस्था** है जिसका उल्लेख संविधान के **भाग 14** में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है।

✦ अनुच्छेद–315– राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

➤ अनुच्छेद–315 (1)– प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

➤ अनुच्छेद–315 (2)– **संयुक्त लोक सेवा आयोग** (दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधानमण्डल के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है।)

लोकसेवा आयोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 315 (1)	संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया।
अनुच्छेद 315 (2)	दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 316	लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
अनुच्छेद 317	लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलम्बन।
अनुच्छेद 318	आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति
अनुच्छेद 319	आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 320	लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्य
अनुच्छेद 321	लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों में वृद्धि।
अनुच्छेद 322	लोकसेवा आयोग का व्यय
अनुच्छेद 323	लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट/प्रतिवेदन

✦ अनुच्छेद–316– सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल

➤ अनुच्छेद– 316 (1)– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** की **नियुक्ति** राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से **आधे सदस्य** ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के **अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक** पद धारण कर चुके हैं।
- अनुच्छेद– 316 1(क)– यदि आयोग के **अध्यक्ष का पद रिक्त** हो या अध्यक्ष की **अनुपस्थिति** के कारण या **अन्य कारण** से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राज्यपाल आयोग के **अन्य सदस्यों** में से किसी एक सदस्य को **अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त** कर सकता है जब तक **अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं** कर ले।

☞ **नोट**– 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा–11 द्वारा संविधान में **अनुच्छेद** 316(1क) को जोड़ा गया।

प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है?** **(Raj. Police 2024 K-2)**
(1) राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा
(2) राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा
(3) गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति द्वारा
(4) राज्यपाल की सलाह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(*)

☛ **नोट**– यह प्रश्न डिलीट किये जाने योग्य है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति **राष्ट्रपति** को प्राप्त है। संविधान के **अनुच्छेद 317** के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को दुराचार के मामले में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे प्रकरण को उच्चतम न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करता है तथा जाँच एवं अनुशंषा के उपरांत ही अपदस्थ किया जा सकता है।

2. **राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है?**
प्रशासन का नामांकन/चुनाव/प्रशिक्षण/इनमें से कोई भी नहीं
इनमें से कोई भी नहीं **(Raj. Police 2024 L-2)**

3. **निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है?**
एल.एल. जोशी/आर.सी. चौधरी/जे.एम. खान/डी.एस. तिवारी
डी.एस. तिवारी **(Asst. Pro.-2024)**

4. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।** **(RAS Pre-2023)**
1. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते है।
2. आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते है।
1 व 2 दोनों सही है

5. **आरपीएससी (RPSC) के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें :**
(A) डॉ. बी.एल. रावत (B) डॉ. दीन दयाल
(C) राम सिंह चौहान (D) डॉ. एस.एस. टाक
सही विकल्प का चयन करें :
ACBD (वरि.अध्यापक ग्रुप–ए–2023)

6. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए–**
A. राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त, 1949 को प्रभाव में आया।
B. राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसम्बर, 1949 को हुई थी।
C. जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त, 1949 को समाप्त कर दिये गये।
कूट–
A, B और C सही है। (वरि.अध्यापक ग्रुप–बी–2023)

7. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है?** **(EO/RO-2023)**
6 साल या 62 साल की उम्र

8. **राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?** **(EO/RO-2023)**
अनुच्छेद 318

9. **2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या (अध्यक्ष सहित) कितनी है?** **(EO/RO-2023)**
आठ

10. **राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?**
(1) राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल तीन प्रांत–जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसम्बर, 1949 से प्रभाव में आया।
(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है।
(4) प्रारंभ में, आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे।
कथन (4) गलत है। **(वरि. अध्यापक(संस्कृत शिक्षा) 2023)**

11. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है–** **(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप– B (संस्कृत शिक्षा) 2023)**
6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
(उद्योग निरीक्षक–2018)

12. **राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है :**
(1) संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत् राष्ट्रपति के द्वारा
(2) विधान सभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत् राज्यपाल द्वारा
(3) राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जाँच के बाद
(4) राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जाँच के बाद
विकल्प (3) **(CET 10+2 2023)**

13. **राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है?** राष्ट्रपति द्वारा **(CET 10+2 2023)**

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

- **'मानव अधिकार'** शब्द को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993 की धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है।
- जिसमें **मानव अधिकारों** से अभिप्राय संविधान में उल्लेखित अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में अंगीभूत व्यक्ति की **जीवन, स्वतंत्रता, समानता** और **प्रतिष्ठता** से संबंधित अधिकारों से है, जो न्यायालय द्वारा लागू योग्य हो 'मानवाधिकार' कहलाते है।
- आयोग का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। यह एक **स्वायत्त** तथा **उच्चाधिकार प्राप्त संस्था** है।
- **अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन–** 10 दिसम्बर, 1948

☞ **नोट–** मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन– **12 अक्टूबर, 1993**
- **इसका मुख्यालय–** नई दिल्ली (प्रथम अध्यक्ष– **रंगनाथ मिश्र**)
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के **अध्याय 5 में धारा 21 से 29** के अधीन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में उपबंध किया गया है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक/वैधानिक निकाय है।

✦ धारा 21(1)– राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है, जिसका नाम राजस्थान **(संबंधित राज्य के नाम)** मानवाधिकार आयोग होगा।

- राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की **धारा 21(1)** के तहत 18 जनवरी, 1999 को किया गया तथा आयोग ने विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारम्भ मार्च, 2000 से किया।

➢ धारा 21(2)– **संरचना**

- 1 अध्यक्ष व **4 सदस्य** (गठन के समय के प्रावधान, 1999)
- 1 अध्यक्ष व **2 सदस्य** (मानवाधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम–2006 के द्वारा)
- अध्यक्ष– राज्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत **मुख्य न्यायाधीश** या अन्य न्यायाधीश।

☞ **नोट–** 2019 के संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया गया है।

➢ सदस्य–

1. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश/ जिला न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश, जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो।
2. ऐसा व्यक्ति जो **मानवाधिकारों** का विशेषज्ञ हो।

➢ धारा 21(3)– आयोग का एक **सचिव** होगा, जो आयोग का मुख्य **कार्यपालक अधिकारी** होगा।

- वह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी **प्रशासनिक** और **वित्तीय** शक्तियों का प्रयोग करेगा।

➢ धारा 21(4)– आयोग का मुख्यालय उस स्थान पर होगा जहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

- **राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय–** जयपुर

➢ धारा–22(1)– **आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति**

- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

✦ चयन समिति– इसमें अध्यक्ष सहित **4 सदस्य** होते हैं तथा इसका अध्यक्ष **मुख्यमंत्री** होता है।

1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
2. **विधानसभा अध्यक्ष (सदस्य)**
3. **विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य)**
4. गृहमंत्री **(सदस्य)**

- जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, उनमें चयन समिति में **छह सदस्य** होते हैं।

5. **विधान परिषद् का सभापति (सदस्य)**
6. विधान परिषद् का विपक्ष का नेता **(सदस्य)**

- आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्य** के रूप में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जायेगी।

➢ धारा–22(2) के अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई पद रिक्त है।

✦ **धारा 23 आयोग के सदस्यों का हटाया जाना**

➢ धारा 23(1)– अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र **राज्यपाल** को संबोधित करके दे सकते हैं।

➢ धारा 23(1क) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के **अध्यक्ष** या **सदस्य** को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपने कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरूद्ध **कदाचार** साबित हो गया है।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–120 के तहत् राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के आदेश **राज्यपाल** द्वारा 17 जून, 1994 को जारी किए गए तथा आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ 1 जुलाई, 1994 से किया।
- यह एक **संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय** है।
- राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायती राज संस्थाओं के लिए **भाग 9**, अनुच्छेद–243 (K) तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 (क), अनुच्छेद–243 (ZA) में मिलता है। जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए **एक निर्वाचन आयोग** होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा।
- आयोग का मुख्यालय– जयपुर
- राज्य निर्वाचन आयोग '**एक सदस्यीय निकाय**' है। 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है।

❖ आयोग की संरचना

- **राज्य निर्वाचन आयुक्त– मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ सचिव– उपसचिव– सहायक सचिव–** जिला निर्वाचन अधिकारी– **रिटर्निंग अधिकारी–** सहायक रिटर्निंग अधिकारी– बूथ लेवल अधिकारी
- अनुच्छेद 243 K (ट) व 243 ZA (यक) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की **पंचायतों** व **नगरपालिकाओं** के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए **निर्वाचन नामावली** तैयार करना, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है।

☞ **नोट– सांसद व विधायक** के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है।

❖ राज्य निर्वाचन आयुक्त

✦ अनुच्छेद 243ट(1) नियुक्ति– राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयुक्त **भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)** का अधिकारी होता है। नियुक्ति के समय उसे कम से कम **एक वर्ष** की सेवा का अतिरिक्त **मुख्य सचिव** अथवा **समकक्ष पद** का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।

➢ **कार्यकाल–** राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, उस तक होता है।

☞ **नोट–** आयोग के गठन के समय राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल **6 वर्ष या 62 वर्ष** की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, था। द्वितीय राज्य निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल **6 वर्ष या 62 वर्ष** की जगह **5 वर्ष या 65 वर्ष** की आयु करने का प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद पारित हो गया था तथा तृतीय चुनाव आयुक्त इन्द्रजीत खन्ना को **5 वर्ष या 65 वर्ष** आयु, जो पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया।

✦ अनुच्छेद 243ट(2) पदावधि तथा सेवा–शर्तें

- राज्य के **विधानमण्डल** द्वारा बनाए गए कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाशर्तें और पदावधियाँ ऐसी होंगी जो राज्यपाल द्वारा **नियम बनाकर** निर्धारित की जाएगी।

➢ वेतन– राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के **न्यायाधीश के समान** वेतन मिलता है।

- राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है।
- **राज्य निर्वाचन आयुक्त** की नियुक्ति के बाद वेतन, सेवाशर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

➢ त्यागपत्र– राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र **राज्यपाल** को दे सकता है।

➢ पद से हटाना–

- राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जिस प्रकार राज्य **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को **कदाचार** या **असमर्थता** के आधार पर हटाया जा सकता है।

✦ राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय

- आयोग के कार्यों के अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में सहायता के लिए **सचिव** (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) **पद** की व्यवस्था की गई है। सचिव की नियुक्ति **राज्य सरकार** द्वारा की जाती है।
- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा–119 के अनुसार बी.बी. मोहंती को **प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी** (सचिव) नियुक्त किया गया।
- **सचिव** भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।
- आयोग में **एक उपसचिव** व **एक सहायक सचिव** के पद का भी सृजन किया गया है।
- उपसचिव, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है।

राजस्थान राज्य वित्त आयोग

✦ उद्देश्य– राज्य वित्त आयोग **पंचायतों** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की **संचित निधि** में से **पंचायतों को अनुदान** देने की सिफारिश करता है। यह करों के बंटवारे का कार्य करने के साथ राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है।

- यह एक **संवैधानिक निकाय** है जिसका उल्लेख पंचायती राज संस्थाओं हेतु **भाग 9**, अनुच्छेद–243 झ(I) तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 (क), अनुच्छेद–243 म(Y) में मिलता है।

✦ अनुच्छेद 243(झ)– **वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।**

➢ अनुच्छेद 243झ(1)– राज्य का **राज्यपाल** (73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा) प्रत्येक **5 वर्ष** की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।

(क) **आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है–**

(i) राज्य द्वारा **वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण की।

(ii) पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे **करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** के अवधारण की।

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ख) पंचायतों की **वित्तीय स्थिति** को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में।

(ग) पंचायतों के ठोस वित्त के हित्त में **राज्यपाल द्वारा** वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में।

➢ अनुच्छेद 243झ(2)– **राज्य विधानमण्डल** द्वारा कानून बनाकर आयोग की संरचना एवं सदस्यों की अर्हताएँ और उनकी चयन की रीति का उपबन्ध किया जाएगा।

➢ अनुच्छेद 243झ(3)– आयोग अपनी प्रक्रिया **स्वतः** अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो **राज्य विधानमण्डल** कानून बनाकर उसे प्रदान करे।

➢ अनुच्छेद 243झ(4)– **राज्यपाल** आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित **राज्य विधानमण्डल** के समक्ष रखवायेगा।

- अनुच्छेद 243म(1)– **अनुच्छेद** 243(झ) के अधीन गठित वित्त आयोग **नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा।

(क) **आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है–**

(i) राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के **राज्य** और **नगर पालिकाओं** के बीच वितरण की।

(ii) नगर पालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण की।

(iii) राज्य की **संचित निधि** में से नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ख) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में।

(ग) नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित्त में **राज्यपाल** द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में।

- अनुच्छेद 243म(2)– **राज्यपाल**, आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित **राज्य विधानमण्डल** के समक्ष रखवायेगा।

✦ संरचना– यह 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें **1 अध्यक्ष** व **4 सदस्य** होते हैं।

✦ नियुक्ति– आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

✦ योग्यता–
- अध्यक्ष पद के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। केवल सामाजिक जीवन में **पर्याप्त अनुभवी** व्यक्ति हो।
- 1 सदस्य **लेखा मामलों** का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- 1 सदस्य **आर्थिक मामलों** का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- 2 सदस्य **न्यायिक पृष्ठभूमि** से होने चाहिए।

☞ **नोट**– वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता व चयन प्रक्रिया का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है।

✦ कार्यकाल– 5 वर्ष (आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है।)

✦ त्यागपत्र– आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र **राज्यपाल** को दे सकते हैं।

का पद धारण कर लेने पर।

- परन्तु किसी सदस्य को इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि उसे **विषय की सुनवाई** का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

✦ धारा–9– आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

- **राज्य सरकार द्वारा** आयोग को अपने कार्यों को करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

✦ धारा–10– इसके अनुसार किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए आयोग को **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ प्राप्त होती है।

✦ धारा–11– आयोग के कार्य

- महिलाओं के साथ किसी भी अनुचित व्यवहार की **जाँच करना,** उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।
- राज्यभर में **पीड़ित महिलाओं** की शिकायत का निवारण करना।
- महिलाओं के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें न्याय दिलाना। लोक उपक्रमों में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

✦ धारा–12 – अनुचित व्यवहार की जाँच करना

- किसी **महिला के विरुद्ध** होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच करना और उस पर विनिश्चय करना और इस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की **सरकार को** सिफारिश करना।
- राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से **3 माह के अन्दर** उन पर विनिश्चय किया जायेगा और आयोग को उसकी सूचना प्रदान की जायेगी।

✦ धारा–16– राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख **नीतिगत विषयों** के संबंध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

✦ धारा–14 के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट **राज्य सरकार** को सौंपता है।

❖ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन–** राजस्थान में महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे हेतु **6 अगस्त, 2012** को मुख्यमंत्री महिला हेल्पाइन टोल फ्री नम्बर 181 प्रारम्भ की गई है, जो महिला आयोग परिषद् स्थित है।
- **राजस्थान में गरिमा हेल्पलाइन–** 1090
- राज्य की प्रथम **महिला नीति** 8 मार्च, 2000 को जारी की गई।
- राजस्थान राज्य महिला आयोग की **प्रथम अध्यक्ष**–कांता कथूरिया
- राजस्थान राज्य महिला आयोग की **वर्तमान अध्यक्ष**– श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती

आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य

- अध्यक्ष– श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती
- सदस्य
  - श्रीमती सुमन यादव
  - श्रीमती अंजना मेघवाल
  - श्रीमती सुमित्रा जैन
- सदस्य सचिव– श्रीमती मीनाक्षी मीणा

क्र.सं.	नाम अध्यक्ष	पदावधि
1	श्रीमती कांता कथुरिया	25.05.1999 से 24.05.2002
2	प्रो.पवन सुराना	28.01.2003 से 27.01.2006
3	श्रीमती तारा भंडारी	15.04.2006 से 14.04.2009
4	प्रो.लाड कुमारी जैन	24.11.2011 से 23.11.2014
5	श्रीमती सुमन शर्मा	20.10.2015 से 19.10.2018
6	श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती	11.02.2022 से 10.02.2025

प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? **(Assi. Pro.-2024)**
   नगेंद्र बाला/सुमन शर्मा/लाड कुमारी जैन/पवन सुराणा
   नगेंद्र बाला
2. राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं?
   धारा 11 में **(Assi. Pro.-2024)**
3. राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं? **(VDO 27-12-2021)**
   (i) आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
   (ii) आयोग का गठन 15 मई, 1999 को हुआ।
   (iii) यह गैर–संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है।
   (iv) इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जाँच करना है।
   कथन (ii), (iii) व (iv) सत्य है।
4. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? **(VDO 27-12-2021)**
   कांता कथूरिया/तारा भण्डारी/लाड कुमारी जैन/गिरिजा व्यास
   गिरिजा व्यास
5. किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई?
   1999 **(VDO 28-12-2021)**

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य **नागरिकों को सशक्त बनाना,** सरकार की **कार्यशैली में पारदर्शिता** और जवाबदेही बनाना, **भ्रष्टाचार को रोकना** तथा हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम,** 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) का गठन किया गया।
- सूचना आयोग एक वैधानिक **(सांविधिक)** व पूर्णतया स्वायत्तशासी निकाय है, जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- RIC सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसके निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगें। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी **जाँच करने** का भी अधिकार है, जो किसी **लोकसूचना अधिकारी** से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

➢ धारा–15(1) गठन– राज्य सूचना आयोग का गठन **13 अप्रैल, 2006** को हुआ, लेकिन कार्य **18 अप्रैल, 2006** को प्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कौरानी बने।

➢ धारा–15(2) संरचना– यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक **मुख्य सूचना आयुक्त** व आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं।

- राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में **मुख्य सूचना आयुक्त** व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है।

➢ धारा–15(3) नियुक्ति – मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक **चयन समिति** की सिफारिश पर की जाती हैं।

➢ चयन समिति–
1. **मुख्यमंत्री**– यह समिति का **अध्यक्ष** होता है।
2. विधानसभा में **प्रतिपक्ष के नेता**।
3. मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक **मंत्रिमण्डल का सदस्य**।

➢ धारा–15(4)– राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण **अधीक्षण, निदेशन** और **प्रबन्ध** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जायेगी।

➢ धारा–15(7)– **मुख्यालय**– जयपुर

✦ धारा–16– पदावधि एवं सेवा की शर्तें

➢ धारा–16(1)– **मुख्य सूचना आयुक्त** अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण करेगा।

➢ धारा–16(2)– **राज्य सूचना आयुक्त** अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण करेगा।

☞ **नोट– सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम,** 2019 में प्रावधान किया गया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा की शर्तें **केन्द्र सरकार** द्वारा निर्धारित की जायेगी।

- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन **सूचना आयुक्त,** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे।

➢ धारा–16(3) शपथ– मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगें।

- **शपथ का प्रारूप** पहली अनुसूची में वर्णित है।

➢ धारा–16(4) त्यागपत्र– मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सम्बोधित कर सकते हैं।

➢ धारा–16(5) वेतन एवं भत्ते–
1. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते **राज्य निर्वाचन आयुक्त** के समान होते हैं।
2. राज्य के सूचना आयुक्तों के **वेतन** एवं **भत्ते** राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं।

- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के **वेतन, भत्तों** और **सेवा** की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के बाद कोई **अलाभकारी परिवर्तन** नहीं किए जाएंगे।

☞ **नोट**– सूचना के अधिकार **(संशोधन)** अधिनियम, 2019 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के **मुख्य सूचना आयुक्त** व अन्य **आयुक्त के वेतन** एवं **भत्तों** तथा सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

लोकायुक्त

➢ **ओम्बुड्समैन का तात्पर्य**– नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई **शिकायतों की पड़ताल** करने के लिए **व्यवस्थापिका का आयुक्त**।

- **सर्वप्रथम** स्वीडन देश ने सन् 1809 में ओम्बुड्समैन का पद सृजित किया था।
- 'ओम्बुड्समैन' स्वीडश शब्द है, जिसका अर्थ 'जनता का प्रतिनिधि'।
- अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे **भारत** में केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त (Lokayukta) कहा जाता है। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।
- भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉ. एल.एम. सिंघवी ने दिया था।
- **मोरारजी देसाई** की अध्यक्षता में सन् 1966 में **प्रशासनिक सुधार आयोग** द्वारा एक विशेष प्रतिवेदन में लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी।
- लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक सन् 1968 में रखा गया था।
- भारत में सर्वप्रथम 1970 में **ओडिशा** में लोकपाल की स्थापना हुई, जहाँ 1995 में पुनः नया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बना। सन् 1971 **में** महाराष्ट्र में व सन् 1973 **में** राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई।
- राजस्थान में लोकायुक्त पद 1973 में सृजित किया गया।
- केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए **बहुप्रतीक्षित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम** 2013 संसद द्वारा वर्ष 2014 में पारित हुआ, जिसे 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 16 जनवरी, 2014 से प्रभाव में आया।

❖ राजस्थान में लोकायुक्त संस्था

- वर्ष 1973 में **राजस्थान लोकायुक्त** तथा **उप–लोकायुक्त अध्यादेश** पारित हुआ, जो **3 फरवरी,** 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। **इसे** 26 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।
- लोकायुक्त एक **स्वतंत्र** संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार **सम्पूर्ण राजस्थान राज्य** है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।
- लोकायुक्त वैधानिक (सांविधिक) एवं सलाहकारी संस्था है। (जाँच कर सकता है, लेकिन दण्ड नहीं दे सकता)
- इस निकाय में एक लोकायुक्त व **आठ सदस्य** होते हैं।
- लोकायुक्त राजस्थान का मुख्यालय– जयपुर

✦ धारा–3:– नियुक्ति

- राज्यपाल द्वारा एक **चयन समिति की सिफारिश** पर की जाती है।

✦ चयन समिति–

1. **मुख्यमंत्री**– जो इसका **अध्यक्ष** होगा।
2. **विपक्ष का नेता**।
3. उच्च न्यायालय का **मुख्य न्यायाधीश**।

(**स्रोत**– पेज नं. 200 जनक सिंह मीणा)

- उप–लोकायुक्त की नियुक्ति **लोकायुक्त के परामर्श** से राज्यपाल द्वारा की जाती है।

✦ शपथ– लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है।

- लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त की शपथ का प्रारूप **अनुसूची प्रथम** में दिया गया है।

✦ धारा–4:– योग्यताएँ

- लोकायुक्त के पद पर केवल उच्चतम न्यायालय का **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है।
- उप–लोकायुक्त पूर्व में सतर्कता आयुक्त का पद धारण कर चुका हो।
- लाभ का पद धारण न करता हो।
- राजनीतिक दल से न जुड़ा हो।
- संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो।

✦ धारा–5:– लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें

- लोकायुक्त व उप–लोकायुक्त अपने पद ग्रहण करने की तारीख से **अधिकतम 5 वर्ष** तक अपने पद पर बना रह सकता है।
- लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त, **राज्यपाल को** सम्बोधित अपने **हस्ताक्षर सहित** त्यागपत्र द्वारा अपना **पद त्याग** कर सकता है।
- अगर **लोकायुक्त** का पद रिक्त हो जाता है या वह अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तथा उप–लोकायुक्त का भी पद रिक्त हो, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा उसके पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा, जिसका नाम राज्यपाल के अनुरोध पर उस उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

✦ सूचना– किसी भी प्रकार की सामग्री जिसमें **फाइल**, दस्तावेज, विचार, **सुझाव,** मेमो, रिकॉर्ड, **रिपोर्ट**, विज्ञप्ति, **आदेश**, डाटा, ई–मेल तथा किसी भी **निजी संस्था** से संबंधित सूचना जिस तक कानून के माध्यम से किसी **लोक अधिकारी** की पहुँच हो।

- **अनुच्छेद–19 (1) (क)** के तहत् सूचना का अधिकार **संवैधानिक अधिकार** है।
- भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता 'अरूणा रॉय' को माना जाता है। इन्होंने 1995–96 में **'मजदूर किसान शक्ति संगठन'** बनाकर ब्यावर (अजमेर) में सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन चलाया।
- विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन तत्काल प्रभाव से लागू हो गये थे। सम्पूर्ण रूप से यह अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।
- राजस्थान में **सूचना का अधिकार अधिनियम** (राजस्थान राइट टू इन्फॉरमेशन रूल्स) 13 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ था।
- यह अधिनियम **लोक प्राधिकरणों** पर लागू होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा।

✦ सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य– नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे **लोकतंत्र** को **लोगों के लिए कामयाब** बनाना है।

✦ स्वैच्छिक प्रकाशन

➢ धारा–4 (ए)– सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के **120 दिवसों** की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं का प्रकाशन करना होगा। जिसमें **रिकॉर्ड्स का तैयार** होना, उसका **कम्प्यूटरीकरण** कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना है कि **प्रत्येक नागरिक** की उस तक पहुँच संभव हो।

- सूचना **जन–जन** तक आसानी से पहुँचे, संबंधित प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों– समाचार पत्रों, **नोटिस बोर्डों** में प्रकाशन के साथ ही **जनता की** बीच घोषणाओं व **टी.वी.**, रेडियो आदि में प्रसारण से दर्शाने की कार्यवाही की गई है।

✦ समयबद्धता

- लोक **सूचना अधिकारी** को **30 दिन** का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपादित किया गया है।
- लोक सूचना अधिकारी यदि **30 दिन के बाद** सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस नहीं लेगा।
- **प्रथम अपीलीय** अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता है (जिसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है।) तो **नागरिक** सूचना आयोग के समक्ष **द्वितीय अपील** कर सकता है।
- यदि आवेदन किसी **अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी** से संबंधित हो तो प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी को अंतरित किए जाने का प्रावधान है।

✦ सूचनाधिकार संबंधित शुल्क

- इस अधिनियम में आवेदन **शुल्क** एवं **सूचना व्यय** विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। आवेदन शुल्क सभी जगह लगभग समान है, जो 10 रुपये है, परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए **कोई शुल्क नहीं है**।

✦ सूचनाधिकार में दण्ड का प्रावधान

- इस अधिनियम के तहत् उल्लंघनकर्त्ता लोक सूचना अधिकारी को **दण्ड** दिए जाने का प्रावधान है–
- बिना कारण सूचना उपलब्ध कराने में देरी करने के लिए सूचना आयोग 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है।
- अनुरोध को न मानने या गलत नियत से सूचना को नष्ट करने या जान–बुझ कर गलत सूचना देने पर 25,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

✦ सूचनाधिकार के अपवाद

- इस अधिनियम के **भाग 8** के अनुसार वे सूचनाएँ निहित होती हैं जिन्हें देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है–

1. ऐसी सूचना जिसे देने से देश की **प्रभुसत्ता, अखण्डता, सुरक्षा, रणनीति,** राष्ट्रीय हित को नुकसान हो तथा विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो।
2. जिससे **संसद** या **विधानमण्डल** के विशेषाधिकार भंग होते हो।
3. जिस पर **न्यायालय** या **अन्य प्राधिकरण** ने रोक लगा रखी हो।
4. जो सूचना किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो।
5. जो **पुलिस** या **सुरक्षा व्यवस्था** को बनाये रखने के लिए विश्वास में दी गई सूचना के स्रोत को उजागर करती हो।

राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011

- राज्य की जनता को सरकारी सेवाएँ एक निश्चित समय–सीमा में उपलब्ध करवाने तथा लोक सेवकों को **उत्तरदायी** एवं **जवाबदेय** बनाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री** अशोक गहलोत ने 14 नवम्बर, 2011 को 'राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम–2011' लागू किया। (Rajathan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011)

☞ **नोट**– मध्यप्रदेश, भारत का **पहला राज्य** है जिसने 18 अगस्त, 2010 को लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया था।

- यह एक ऐसा **अधिनियम** है जो **राज्य** की **जनता** को नियत समय सीमाओं के भीतर सेवाएँ प्रदान करने की गारण्टी प्रदान करता है।
- प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी। बाद में 18 **विभागों** की 153 सेवाओं को उपलब्ध कराया गया।
- वर्तमान में इस अधिनियम के तहत् 25 विभागों की 221 सेवाएँ जनता को **उपलब्ध** कराया जाना सुनिश्चित किया है।
- इस अधिनियम के तहत 27 विभागों की **287 सेवाएँ** उपलब्ध कराई जाएगी।

✦ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करना।
- जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना।
- जनता को प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना।
- सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार को कम करना तथा पारदर्शिता एवं लोक जवाब देयता में वृद्धि करना।
- प्रशासन और लोकसेवा में प्रतिबद्धता, समयबद्धता व कार्यकुशलता सुनिश्चित करना।
- धारा–4– नियत समय–सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार

❖ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

✦ प्रथम अपील– कोई व्यक्ति जिसने किसी सेवा के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन **नामंजूर कर दिया जाता है** या नियत समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती, तो आवेदन के नामंजूर होने या निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

- परन्तु प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निश्चित समय अवधि में अपील प्रस्तुत करने से वंचित रहने के पर्याप्त कारण है।
- प्रथम अपील **अधिकारी** 21 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण करेगा। (उस अधिकारी को सेवाप्रदान करने का आदेश देगा या अपील का नामंजूर कर सकेगा।)

✦ द्वितीय अपील– प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध 60 दिन के अन्दर, द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।

- परन्तु द्वितीय अपील अधिकारी **60 दिन** की कालावधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निश्चित समय अवधि में अपील प्रस्तुत करने से वंचित रहने के पर्याप्त कारण है।
- द्वितीय अपील अधिकारी मामलें की जाँच करके दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध दण्ड आरोपित कर सकता हैं जो 500 से 5,000 रुपये तक हो सकता है।
- लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यदि किसी विभाग का कोई अधिकारी निश्चित समयावधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है, तो कम से कम **500** रुपए से और अधिकतम **5000** रुपए तक का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- यदि यह सेवा प्रदान करने में देरी करता है, तो प्रतिदिन **250 रुपये** तथा अधिकतम **5000 रुपये** के आर्थिक दण्ड से अधिरोपित किया जायेगा।
- किसी वाद का विचारण करते समय प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- सेवा प्रदान करने की समय गणना **आवेदन** की तिथि से की जायेगी लेकिन इसमें **अवकाश** के दिनों की गणना नहीं की जायेगी।

✦ अपील के संबंध में विशिष्ट प्रावधान

- प्रत्येक दशा में अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।
- अपील आवेदन के साथ कोई शुल्क देय नहीं होगा।

✦ राजस्थान लोक सेवा अधिनियम की सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

- एक ही प्रकृति के कार्यों में अलग–अलग सेवा प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई है जो इस एक्ट की प्रासंगिता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करती है।

राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012

- जन सामान्य की लोक शिकायतों और **समस्याओं** की समुचित और समयबद्ध सुनवाई, लोक शिकायतों के त्वरित निपटारे के साथ उनके निकटतम स्थानों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली का उपबन्ध इस अधिनियम में किया गया है।

- राजस्थान **देश का पहला** राज्य है जिसने **सुनवाई का अधिकार अधिनियम,** 2012 लागू किया है।
- इस अधिनियम हेतु राज्यपाल महोदय की अनुमति **21 मई, 2012** को प्राप्त हुई और **22 मई, 2012** को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशित कर सम्पूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया।

✦ नियत समय–सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार

- लोक सुनवाई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए किसी परिवाद पर नियत समय–सीमा के भीतर **सुनवाई का अवसर** प्रदान करेगा।
- लोक सुनवाई अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता माँग सकेगा जिसे वह उप–धारा (1) के अधीन अपने **कर्त्तव्यों का** समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।
- नियत समय–सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी, जब कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को या परिवाद प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को **फाइल** किया जाता है। परिवाद की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी।

✦ सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना

- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा सूचना और सुगम केन्द्रों के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी।
- **जनता की शिकायत** का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के अधीन परिवादों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्रों की स्थापना करेगी जिनमें **ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेन्टर, हेल्प–डेस्क** और **जन–सहायता केन्द्रों** की स्थापना सम्मिलित हो सकेगी।
- प्रत्येक लोक प्राधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिकायत के निराकरण को सम्मिलित करते हुए शिकायत निराकरण की पद्धति में **विकास, प्रोन्नति, आधुनिकीकरण** और सुधार के लिए उत्तरदायी होगा।

✦ अपील

- कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत समय–सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या जो लोक **सुनवाई अधिकारी** के विनिश्चय से व्यथित है, नियत समय–सीमा की समाप्ति से या लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से **30 दिन के अन्दर** प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
- यदि लोक सुनवाई अधिकारी, किसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं करें या सुनवाई नहीं करें, तो व्यक्ति सीधे ही **प्रथम अपील प्राधिकारी** को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रीति से निपटाया जाएगा।
- प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अवसर दे सकेगा या **अपील खारिज** कर सकेगा।
- यदि अपीलार्थी **प्रथम अपील प्राधिकारी** के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो, तो 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकता है।
- यदि लोक सुनवाई अधिकारी नियत समयावधि में **प्रथम अपील प्राधिकारी** के आदेश की पालना नहीं करता है या प्रथम अपील प्राधिकारी निर्धारित समय सीमाओं के भीतर **अपील का निपटारा** नहीं करता है, तो कोई पीड़ित व्यक्ति सीधे ही द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

✦ दण्ड का प्रावधान

- यदि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त एवं युक्ति कारण के नियत समय–सीमा के अन्दर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कम–से–कम **500 रुपए** और अधिकतम **5000 रुपए** तक आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उसके वेतन से वसूला जाएगा लेकिन जुर्माना लगाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा।

✦ दण्ड का पुनरीक्षण–

- द्वितीय अपील अधिकारी के किसी आदेश द्वारा प्रभावित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी उस आदेश की तिथि से 60 दिनों की समयावधि में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।

☞ **नोटः–** इस अधिनियम के तहत् **परिवाद, प्रथम अपील** या **द्वितीय अपील** और पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस देय नहीं है।